खण्ड-198, अंक-6
बुधवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(17 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५८५–५८८
प्रश्नोत्तर	५८८–५९९
श्री कोतवाल सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी की सूचना	५९९–६००
श्री नेकराम शर्मा तथा मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	६००–६०५
"स्वतंत्र भारत" में श्री अध्यक्ष के भाषण की गलत रिपोर्टिंग का सुधार ..	६०५
१९५४–५५ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (स्वीकृत) ..	६०६–६०८
अनुदान संख्या ३०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	६०८
अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय (स्वीकृत) ..	६०९–६११
अनुदान संख्या ४९—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत) ..	६११–६१२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन, विधेयक, १९५८ (जारी)	६१२–६१८
कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा की बैठक की सूचना	६१८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	६१८ ६३०
श्री शिवराजबहादुर की गिरफ्तारी की सूचना	६३१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री

गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र सन्ही, श्री
गयेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुसहायदास, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपालकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सहरी, श्री
जगमोहनसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदत्त वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री

जुगलकिशोर, आचार्य
लोखंडे, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दर्शनसिंह, श्री
दातारामं चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीवनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मिसल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वासिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दरियावली, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह भिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास खाती, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिंहल, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादलसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुशवाहा, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचलराम, श्री
बैचलराम गुप्त, श्री
बैलीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महबूब अली खां, कुंवर (मेरठ)
महबूब अली खां, श्री (रामपुर)
महबूब अली खां, श्री (सहारनपुर)
महबूब हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मातादीन, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मूरलीधर कुरील, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहम्मद गौतम, श्री
योगेन्द्रसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनाथसिंह बहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

Draft Proof

राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
रामआधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकबी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री

[illegible] बेहरोत्रा, श्री
बंकारलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवरंजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुंदर यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुधीराम भारतीय, श्री
सुधाकरप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री

हरदेवसिंह,
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र श्रष्ठाना, श्री

हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[२२ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या १२-१३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३-४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

*५-६—श्री ब्रजनारायण सिंघारी (जिला बेलरिया)—[हटा दिये गये।]

*७-८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया।]

*१०—राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

*११—श्री रघुवरराज (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया।]

*१२—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया।]

जलेसर तहसील के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*१३—श्री चिरंजीलाल जादव (जिला एटा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील जलेसर, परगना मारहरा, जिला एटा में नदी सिरसा व ईसन में बाढ़ आ जाने के कारण काफी क्षति पहुंची है और जलेसर स्टेशन रोड पर २ मील से ३ मील तक सड़क पर पानी है?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—परगना मारहरा, तहसील जलेसर में नहीं है और न ईसन नदी तहसील जलेसर में होकर बहती है। वास्तव में सिरसा उर्फ सेंगर, धूसरिया और अरिंद नदियों में, जो कि तहसील जलेसर में होकर बहती हैं, बाढ़ आने के कारण उस तहसील में क्षति पहुंची है। जलेसर स्टेशन रोड, जो केवल १ १/२ मील लम्बी है, का कुछ भाग पानी में रहा है।

*१४—श्री चिरंजीलाल जादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना एरिया इस बाढ़ में ग्रसित है और बाढ़ ग्रसित एरिया के ग्रामवासियों की सुविधा के लिये क्या कार्य किया जा रहा है और जो फसल नष्ट हो गई है उसमें कितने रुपये की छूट दी जा रही है और किन-किन शर्तों में?

श्री रामस्वरूप यादव—इस बाढ़ से तहसील जलेसर में लगभग २५,९७७ एकड़ क्षेत्र ग्रसित है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्रामवासियों को सहायता के लिये अब तक २,५०० रु० अहेतुक सहायता और २०,००० रु० आपत्तिकालीन तकावी बंट चुकी है। फसल की क्षति का ब्योरा वर्षा ऋतु समाप्त होने पर तैयार किया जायगा और नियमानसार छूट दी जावेगी।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कितने मनुष्यों, मवेशियों और ग्रामों के मकानों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक मृत्यु भी हो गयी है । १३३ गांव प्रभावित हुये और ६३,५१५ एकड़ क्षेत्रफल पर असर पड़ा है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि यह जो जलेसर रोड पर पानी भर गया वह अलीगढ़ ड्रेन का पानी था ?

श्री रामस्वरूप यादव---अलीगढ़ ड्रेन का पानी नहीं था लेकिन सिरसा जिसको एटा जिले में सेंगर भी कहा जाता है उसका पानी था ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय को पता है कि अलीगढ़ ड्रेन जो अलीगढ़ के नाले के नाम से प्रसिद्ध है उससे ४ नाले ९,९ मील लम्बे सिरसा नदी में डाल दिये जिससे अलीगढ़ ड्रेन का ही पानी कहा जा सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो सही है कि जहां से सिरसा शुरू होती है वहां पर एक ड्रेन खत्म होती है। लेकिन वह ड्रेन बहुत पुरानी बनी है। जहां तक इसका संबंध है कि श्रमदान से कुछ ड्रेन डाल दी गयी इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की बाढ़ इससे पहले भी आयी थी या पहली बार ऐसा हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सिरसा नदी में २,३ सालों से इस तरह की बाढ़ आ रही है और इस साल जरा ज्यादा पानी आ गया है।

*१५---१७---**श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि** (जिला हरदोई) [१ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८---**श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह** (जिला गोंडा)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९---**श्री राजेन्द्र सिंह**---[हटा दिया गया।]

*२०---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---[हटा दिया गया ।]

*२२-२३---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[हटा दिये गये ।]

*२४-२५---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---[हटा दिये गये ।]

जौनपुर जिले के मछली शहर में नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करने की प्रार्थना

*२६---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर, जिला जौनपुर की टाउन एरिया में नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब तक लागू होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तो नागर क्षेत्रों में प्रचलित है। मछली शहर टाउन एरिया में अभी कृषि क्षेत्र का परिच्छेद करने के लिये विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जब यह परिच्छेद हो जायगा, तब उपरोक्त अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत वहां जमींदारी समाप्त कर दी जायगी।

श्री माताप्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस टाउन एरिया में कृषि क्षेत्र का परिच्छेद करने के लिये कब तक विज्ञप्ति जारी कर दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी इसके लिये निश्चित कहा नहीं जा सकता है। इसके लिये काफी ट्रेंड परसोनेल की आवश्यकता होगी और जैसे ही यह मिलता जायगा वैसे काफी नगर हैं जिनमें इसको लागू करना जरूरी है।

श्री माताप्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त टाउन एरिया से मिला हुआ करता घिलुआ खास में जहां जमींदारी समाप्त हुई है कुछ जमींदार आबादी की भूमि तथा अन्य सार्वजनिक भूमि को दूसरों के नाम पट्टा कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जहां जमींदारी कायम है और जो जमींदारों के अखत्यारात थे वह तो उसका इस्तेमाल करते ही हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बन जाने के बाद भी अभी तक सरकार ने उसको अदेना में लागू करने के लिये घोषणा नहीं की है और न दिन निश्चित ही किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, कुछ स्थानों के लिये इसके बारे में विज्ञप्ति २४ जनवरी, १९५८ को जारी हो चुकी है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतलायेगी कि ऐसी क्या अड़चन है जिससे यह सब जगह लागू नहीं हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सब स्थानों के लिये हमारे पास स्टाफ ट्रेंड नहीं है जो कि सब जगह हम नियुक्त कर सकें। उसके लिये समय लगेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के कुछ टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह ऐक्ट कब लागू किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---केराकत टाउन एरिया में यह लागू हो गया है।

*२७---**श्री माताप्रसाद**---[हटा दिया गया।]

*२८---**श्री जगदीशनारायणदत्तसिंह** (जिला खीरी)---[हटा दिया गया।]

सुल्तानपुर जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन पाने वाले व्यक्ति

*२९---**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या श्रम मंत्री सुल्तानपुर जिले के बुढ़ापे की पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---सुल्तानपुर जिले में २१ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई। इनमें से ३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। शेष १८ व्यक्ति पेंशन पा रहे हैं।

व्यापारिक मण्डियों में धर्मादा की वसूली पर आपत्ति

*३०---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार को इसका पता है कि प्रदेश की व्यापारिक मंडियों में आढ़त के व्यापारी माल देने व बेचने वालों से धर्मादा के नाम पर प्रति सैकड़ा कुछ पैसा लेते हैं ?

सामाजिक कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---जी हां।

*३१---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार इस सार्वजनिक धन का जनहित में उचित उपयोग हो इसलिये कोई समिति बनाने पर विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी नहीं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह जो धर्मादा वसूल होता है उसको व्यापारी लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे में इस्तेमाल करते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो धर्मादा वसूल होता है वह व्यापारी अपने खाते में रखते हैं और उसका इस्तेमाल वह अपने निजी तौर पर सार्वजनिक कार्यों के लिये, जहां तक समझा गया है, करते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धर्मादा सब जगह एक सा लिया जाता है या इसके अलग अलग उसूल हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे ठीक मालूम नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अलग-अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ले लिया जाता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार की ओर से किसी प्रकार का अन्य टैक्स किसानों से वसूल करने का दुकानदारों को अधिकार नहीं है तो यह दुकानदार धर्मादा के नाम पर जो अनुचित लाभ उठाते हैं उसके बारे में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर---यदि हमारे पास उसको अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने की कोई शिकायत आये तो सम्भव है कि हम कुछ कर सकें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की कोई व्यवस्था करेंगे कि जो दुकानदार यह धर्मादा लेते हैं उनके हिसाब की जांच सरकार के द्वारा की जाया करे ?

आचार्य जुगलकिशोर---ऐसा कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है तो शायद कोर्ट में याचना ले जाकर उसकी जांच करा सकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि धर्मादा के नाम पर जो रुपया किसानों से यह व्यापारी वसूल करते हैं उसे अपनी लड़की और लड़के की शादी में व्यय करते हैं और धर्मादा में जमा दिखाते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। संभव है वह ऐसा करते हों।

श्री ब्रह्मकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस धर्मादे की रकम का कोई अनुमान लगाया जाता है और उसके खर्चे की कोई जानकारी सरकार को है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---ऐसा तो कोई अनुमान लगाने की चेष्टा नहीं की गयी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार भविष्य में ऐसी आमदनी का लेखा-जोखा रखने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हमारे सामने कई बार आया। धर्मादे की रकम कोई कानूनी चीज नहीं है। जब तक कोई शिकायत नहीं आती तब तक ऐसा मानना चाहिये कि दोनों पक्षों की सहमति से यह चीज होती है और केवल किसानों से ही नहीं, व्यापारियों से भी व्यापारी धर्मादा लेते हैं। दिक्कत यह है कि अगर हम रोक-थाम करने की कोशिश करें तो धर्मादे की रकम कटना बिल्कुल बन्द हो सकती है और फिर बहुत से सार्वजनिक काम, बहुत से स्कूल, कालेज, कई ऐसी संस्थायें हैं कि जो धर्मादे की रकम से चलती हैं, वह सब बन्द हो सकती हैं। तो यह धर्मादा इन तमाम सब कामों में खर्च होता है, वह सब काम बन्द हो जायंगे। इस वास्ते इन दिक्कतों को समझ कर सरकार ने इस काम में हाथ नहीं डाला है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कानपुर, हापुड़ आदि मंडियों में किसानों का पेमेंट व्यापारी तब करते हैं कि जब वह धर्मादा अनिवार्य रूप से देने के लिये तैयार हो जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, यह तो पता है और यह भी पता है कि यह धर्मादा इसी किस्म से व्यापारियों से भी लिया जाता है, लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो वह अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। जब तक कोई शिकायत नहीं करता है हम इस किस्म की किसी चीज में हाथ नहीं डाल सकते।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी किस्म का सवाल इस हाउस में पहले हुआ था और एक आश्वासन मंडी बिल के बारे में दिया गया था धर्मादे वगैरह की रोकथाम के लिये। तो क्या सरकार धर्मादा बिल लाने का विचार रखती है?

आचार्य जुगलकिशोर---जहां तक धर्मादे का प्रश्न है, मुझे तो खयाल नहीं पड़ता कि इस किस्म का कोई आश्वासन दिया गया था। मंडियों के बारे में जरूर आश्वासन दिया गया था और मंडियों को रेगुलेट करने के लिये अवश्य एक बिल बनाने का विचार किया जा रहा है।

*३२-३३---**श्री गरीबदास**---[हटा दिये गये।]

कानपुर काटन मिल एवं अथर्टन वेस्ट मिल की बन्दी से मजदूरों में बेकारी

*३४---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर काटन मिल एवं अथर्टन वेस्ट मिल कब तक चालू हो जायेंगे?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---यह अनिश्चित है।

*३५---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या सरकार कानपुर के उन मजदूरों को जो कि मिल बन्दी के कारण महीनों से बेकार हैं कुछ आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अनिश्चितता का क्या कारण है? और क्या उन कारणों की जांच सरकार ने करायी है? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हिन्दुस्तान के बाजार में ही नहीं, दुनिया के बाजार में कपड़े के ऊपर और कपड़े के व्यापार के ऊपर जो कठिनाइयां आयी हैं, सबसे पहला तो वह कारण है। दूसरे यह कि मोटा कपड़ा जो हमारी मिलों में बनता है उसकी बाजार में खपत कम होती है पिछले दो तीन सालों में इस कपड़े का हमारे यहां और देश भर में हुए उत्पादन के मुकाबले में, यह दूसरा कारण है। हमारे यहां की मिलों का पुराना होना तीसरा कारण है। उनके ऊपर काफी नया रुपया लगे और तब वह चलायी जायं तो चलें। चौथा कारण यह है कि हमारी कानपुर की इन मिलों को चलाने के लिये कोई पार्टी ऐसी नहीं आयी है, हमारे पास, जो यह कहे कि हम अपना रुपया लगा कर इन मिलों को चलाने के लिये तैयार हैं। सरकार की ओर से, जहां तक इन मिलों का संबंध है, पूरी चेष्टा होती है कि वे चलें। इधर उधर पार्टियों से बातचीत भी की गयी है कि वह चलायें। केन्द्रीय सरकार के साथ भी कुछ लिखा पढ़ी हुई है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बन्द मिलों को चलाने और बेकार मजदूरों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या किया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार की पूरी कोशिश है कि यह मिलें चलायी जायं। हमारी नीति है कि कोशिश करते रहें और तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि यह मिलें चल न जायं। मैं नहीं जानता कि कब यह कोशिश सफल होगी। जहां तक मजदूरों की सहायता का सम्बन्ध है, हमने इन बन्द मिलों के उन मजदूरों का, जो बेकार हैं और हमारी इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में किरायेदार हैं, उनसे किराया लेना मुल्तवी कर रखा है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या श्रम मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जिस प्रकार शोलापुर में नरसिंह मिल चली और बम्बई में भी वहां की सरकार ने मिलें चलवाने की कोशिश की, क्या उन्हीं आधारों पर प्रदेश की बन्द मिलों को चलवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रमिक नेता और श्रमिक वर्ग अगर इस बात के लिये तैयार हों कि मिल के मजदूरों की मजदूरी, काम करने की व्यवस्था और दूसरे हकों के सम्बन्ध में इस व्यवस्था में जो कटौती होती है उसके सम्बन्ध में उनकी स्वीकृति है अगर यह निश्चित सूचना हमें मिले तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत इन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ताकि ये मिलें चलें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---औद्योगिक विवाद कानून में हमें इन मिलों के चलवाने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मजदूरों को उसके द्वारा जो और हक़ मिले हैं उनको दिलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि अगर इन मिलों के चलवाने की कोशिश की जाय तो ये अनइकोनामिक प्लान्ट्स हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने पहले ही निवेदन किया कि इन मिलों की पुरानी मशीनें ऐसी हैं कि वे काफी रुपया लगाने पर ही चल सकती हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---जो कारण मिलों की मन्दी के मंत्री जी ने बताये हैं उन्हें देखते हुये क्या मन्त्री जी कानपुर में मिलों को चलवाने के लिये रेशनलाइजेशन की स्कीम को बन्द करने की कृपा करेंगे जिससे मिल चालू रह सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, हमारी ओर से या स्वीकृति से रेशनलाइजेशन की कोई स्कीम कानपुर में चल ही नहीं रही है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---इस समय बन्द मिलों के मजदूरों को जो प्ले आफ़ कम्पेन्सेशन दिया जाता है और उनको रिट्रेंचमेंट बेनीफ़िट जो मिलने वाला है, वह उसके पैसे से तो नहीं काट लिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---औद्योगिक विवाद कानून में अगर ४५ दिन से ज्यादा प्लेआफ हो जाय तो बैठकी का मुआवजा छटनी के मुआवजे में जमा हो जाता है।

श्री माताप्रसाद---ये मिलें कब से बन्द हैं और उनसे कितने मजदूर बेकार हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---काकोमी मिल में दिसम्बर सन् ५७ से करीब ४,००० मजदूर बेकार हैं। अथर्टन वेस्ट मिल में करीब २,५०० मजदूर बेकार हैं। इन दोनों मिलों में बैठकी हुई है और वहां के मजदूरों को बैठकी के मुआवजे के रूप में आधा वेतन मिलने की गुंजाइश है।

गोंडा जिले से बुढ़ापे की पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*३६---**श्री गंगा प्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की चारों तहसीलों (गोंडा, तरबगंज, बलरामपुर, उतरौला) में बुढ़ापे की पेन्शन प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा इनमें से कितनों को यह पेन्शन प्राप्त हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--- गोंडा जिले की उक्त चारों तहसीलों में वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल २१२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से ८३ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२९ व्यक्तियों को पेंशन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- जिलाधीश गोंडा के पास जो प्रार्थना-पत्र आये थे उनमें से उन्होंने कुछ को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे नियमानुकूल नहीं थे। शेष प्रार्थनापत्रों पर या तो पेंशन मिल चुकी है या कुछ पर विचार हो रहा है।

श्री गंगाप्रसाद---ज्यादा से ज्यादा कितनी और कम से कम कितनी पेंशन दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस योजना में सभी को एक ही रकम मिलती है जो १५ रुपये माहवार है।

*३७---**श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)---[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८-३९---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

*४०---**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---[हटा दिया गया।]

*४१---**श्री द्वारिका प्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद)---[हटा दिया गया।]

*४२---४४---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---[हटा दिये गये।]

अलीगढ़ रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार पाने वाले व्यक्ति

*४५---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ रोजगार कार्यालय में सन् १९५६ और १९५७ में कितने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया ? उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१९५६ में १२,२८१ और १९५७ में १०,०१४ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से ४२५ और ४७२ व्यक्तियों को इन वर्षों में क्रमशः रोजगार मिला।

श्री अनन्तराम वर्मा---रजिस्ट्रेशन कराने के कितने दिनों बाद कार्यालय में आवश्यकता की सूचना मिलने पर किसी व्यक्ति का नाम भेजा जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रोजगार कार्यालयों का काम है कि सही आदमी को सही जगह पर भेजें। सही आदमी चाहे वह पीछे रजिस्टर हुआ है उसे भेजा जायगा उस गलत अर्थात् अनुपयोगी आदमी से पहले जो २, ४ वर्ष पहले भी रजिस्टर हुआ है। फिर भी, हमारी कोशिश है कि एक ही तरह की जरूरत और योग्यतावाले लोगों में पहले से रजिस्टर्ड आदमी को पहले भेजा जाय।

श्री अनन्तराम वर्मा---क्या इस विभाग के कोई नियम हैं जिनके अन्तर्गत विभाग के लोगों को काम करना पड़ता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके नियम हैं जो सारे देश के लिये यकसां लागू हैं और पहले से ही बने हुये हैं जबकि यह विभाग केन्द्रीय सरकार के पास था। मैं आपके द्वारा अनन्तरामजी को दावत देता हूं कि यदि वह अलीगढ़ के कार्यालय में सूचना दे देंगे तो वहां के अधिकारी उन्हें वहां ले जाकर सारी बातें समझा देंगे। मुझे अफसोस है कि वह अभी तक वहां नहीं जा पाये हैं।

इटावा जिले से वृद्धावस्था की पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*४६---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--- क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले से अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेन्शन पाने के प्राप्त हुये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इटावा जिले में ३१ जुलाई, १९५८ तक २६२ प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था की पेन्शन के लिये प्राप्त हुए।

*४७---श्री मिहरबान सिंह---क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने व्यक्तियों को पेन्शन दी गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इनमें से ७५ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई है।

श्री मिहरबान सिंह---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि २६२ प्रार्थना-पत्रों में से ७५ को ही दी गई तो बाकी कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और कितने खारिज किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---१६८ प्रार्थनापत्र जिलाधीन ने खुद खारिज कर दिये हैं। ९१ प्रार्थनापत्र उन्होंने श्रम आयुक्त के पास भेजे, जिनमें से ७५ स्वीकृत हो गये हैं, ७ अस्वीकृत कर दिये गये और शेष पर चारा जोई चल रही है।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो वृद्धावस्था की पेंशन दी जाती है वह किस आधार पर दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वृद्धावस्था के आधार पर दी जाती है, यह तो आप को मालूम ही है।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे यह पेंशन किस अधिकारी की सिफारिश पर दी जाती है और उसकी योग्यता क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रार्थनापत्र तहसीलदार को दिया जाता है। तहसीलदार अपनी सिफारिश के साथ जिलाधीश को भेजता है। जिलाधीश उसको नामंजूर तो कर सकता है लेकिन मंजूरी के लिये अपनी सिफारिश के साथ श्रम आयुक्त को भेजता है। श्रम आयुक्त उनमें से मंजूर या नामंजूर करता है। उसका फैसला अन्तिम होता है।

जहां तक अधिकारी की योग्यता का प्रश्न है वह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं। जहां तक पेंशन पाने की योग्यता का सम्बन्ध है उसकी जानकारी करने के लिये इस सदन में दो तीन बार काफी पैसा खर्च करके किताबें यहां बांटी गयी हैं। अच्छा होगा यदि सदस्य उसको पढ़ लेने का कष्ट करें।

*४८---**श्री रामशरण यादव**---[हटा दिया गया।]

*४९-५०---**श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[हटा दिये गये।]

खेतिहर मजदूर वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत गोंडा जिले के कृषि फार्म

*५१---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में कितने तथा कौन-कौन ऐसे कृषि फार्म हैं जिनमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसे कृषि निकायों की संख्या १२४ है तथा यह सब ५० एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले कृषि फार्म हैं।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बतायेगी कि कम से कम कितने एकड़ फार्मों पर और ज्यादा से ज्यादा कितने एकड़ फार्मों पर यह लागू होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बड़े से बड़ा लगभग २२५ एकड़ का फार्म और छोटे से छोटा ५० एकड़ से कम कोई नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि जो मजदूर इन फार्मों पर काम करते हैं, उनको दैनिक मजदूरी दी जाती है या मासिक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारे पास इस बात की सूचना नहीं है कि उन्हें क्या मिल रहा है। मैं आप के जरिये माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वहां श्रमिक संगठन कर के, इन बातों की सूचना वे हमको दिया करें। नियमानुसार उनको जो वेतन मिलना चाहिये वह उनको मिल रहा है क्योंकि गोंडा के किसी फार्म से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बतायेगी कि उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---महंगाई भत्ते का प्रश्न नहीं उठता। उनके कांसोलिडेटेड फिक्ज्ड वेजेज हैं। तनख्वाह और महंगाई सब मिला कर उनको दिया जाता है। मासिक के लिये उनको २६ रुपये माहवार है। दैनिक में जो मजदूरी जवान और मजबूत होते हैं उनको १ रुपया, स्त्रियों को १० आना मिलता है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोंडा जिले में जिला स्तर पर सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई शिकायत आये तो निरीक्षक देख सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, बड़ी माकूल व्यवस्था है। लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य उस व्यवस्था का कोई लाभ उठा नहीं रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सुझाव देंगे कि जिससे उस व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ माननीय सदस्य उठा सकें ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बता दिया है। आप उसका उपयोग करें।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो व्यवस्था जिला स्तर पर है या जो अधिकारी नियुक्त हैं जिला स्तर पर, वे क्या कभी किसी फार्म पर जाकर चेक करते हैं कि जो निर्धारित वेतन है वह नहीं दिया जाता और रजिस्टर में उतना ही दर्ज कर दिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बात कोई शिकायत की शक्ल में हमारे पास नहीं आयी। मिनिमम वेजेज इंसपेक्टर कभी कभी इन फार्मों पर जांच करने के लिये जाते हैं और जांच करते वक्त किसी श्रमिक ने उनको नहीं बतलाया कि उन्हें कम पैसा दिया जाता है और दस्तखत ज्यादा का लिया जाता है। जहां तक रजिस्टरों का सम्बन्ध है वह तो यही बतलाते हैं कि सारा सिलसिला नियमानुकूल हो रहा है।

*५२-५३---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

*५४---**श्री रघुवीर सिंह** (जिला मेरठ)---[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५५---**श्री नन्दराम**---[हटा दिया गया।]

गढ़वाल जिले में समाज कल्याणार्थ कार्यों पर व्यय

*५६---**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)---क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत ३ वर्षों के अन्दर सरकार ने समाज-कल्याण के लिये गढ़वाल जिले में कितना रुपया खर्च किया और कौन-कौन सी संस्थायें कहां-कहां खोलीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---गत तीन वर्षों में गढ़वाल में समाज कल्याण कार्य के लिये ४६,०९० रु० व्यय किये गये। उनमें से १०,९९० रु० विविध समाज सेवी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को अनुदान स्वरूप दिये गये, बाकी ३५,१०० रु० महिला मंगल योजना पर व्यय किये गये।

कोटद्वार में एक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय खोला गया है। इसके अतिरिक्त महिला मंगल योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दस केन्द्र खोले गये हैं---

१---विचला कराकोट
२---नोतियाल गांव
३---लोलिया पानी
४---मंगवारा
५---डिगोली
६---गदोरा
७---सल्ला
८---कलाल घाट
९---गोपेश्वर
१०---लोकमनीपुर

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले की वे कौन-कौन समाज सेवी संस्थायें हैं जिन्हें अब तक अनुदान मिला है और कितना-कितना मिला है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन् जिन संस्थाओं को जिन वर्षों में अनुदान मिला है वे ये हैं—

	१९५६–५७ रुपये	१९५७–५८ रुपये
१–यंगमेन्स एसोसिएशन, पौड़ी ..	२००	१,५००
२–नगरपालिका समिति, कोट द्वार ..	१,०००	२,०००
३–नवयुवक संघ, पौड़ी ..	,,	२५०
४–संस्कृति मंडल, गहवर ..	—	५००
५–टाउन एरिया कमेटी, उत्तरकाशी ..	—	३,०००
६–जिला समाज कल्याण समन्वय समिति जो अब नगर समाज समिति कहलाती है	५००	१,८४०
७–श्रीमती कूल देई, गांव वादियान पट्टी खेदिया	—	२००

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या माननीय समाज कल्याण मंत्राणी बतलाने की कृपा करेंगी कि गढ़वाल के अन्य स्थानों से भी महिला मंगल केन्द्र खोलने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन आज की योजना के अनुसार धनाभाव के कारण नये केन्द्र नहीं खोले जा सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नवयुवक मंडलों के सम्बन्ध में उन्होंने अभी बतलाया है कि उनको आर्थिक सहायता दी गयी है, उन्होंने समाज कल्याण का क्या कार्य किया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैं समझती हूं कि समाज कल्याण का ही काम ये संस्थायें कर रही हैं, इसका ब्योरा इस समय तो मेरे पास नहीं है ।

***५७—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—[हटा दिया गया ।]

***५८—श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

***५९–६१—श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[१ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

***६२—श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)—[हटा दिया गया ।]

***६३—श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)—[हटा दिया गया ।]

कानपुर जिले में सराय मीता ग्राम की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न मिलना

***६४—श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या ग्राम सराय मीता, तहसील कानपुर, जिला कानपुर के किसानों की खेती की भूमि कारखाना बनाने के लिये प्राप्त (एक्वायर) की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

***६५—श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस भूमि का लगान किसानों को अब भी देना पड़ रहा है और मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त भूमि का १३६४ तथा १३६५ फसली का लगान जो कि १०४ रुपये ४ नये पैसे है भूल से वसूल कर लिया गया है तथा उसको किसानों को लौटाने की आज्ञा दे दी गई ह । मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ।

*६६---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त भूमि किस प्रकार के कारखाने के लिये और किसे दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त भूमि टेक्सटाइल मशीनरी के हिस्से बनाने की फैक्टरी के निर्माण के हेतु लक्ष्मी रतन इन्जीनियर्यारंग वर्क्स लिमिटेड को दी गई है ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि मुआवजे का धन सरकार देगी या लक्ष्मीरतन इंजीनियर्यारंग वर्क्स कानपुर देगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मुआवजा तय हो जाने के बाद लक्ष्मीरतन इंजीनियर्यारंग वर्क्स से ही दिलाया जायगा ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और उसमें से जिन लोगों की भूमि ली गई है उनको प्राथमिकता मिलेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह बताना तो असम्भव है कि टेक्सटाइल में जो मशीनरी का काम करने वाले होते हैं उनमें जो काश्तकार हटाये गये हैं उनको ही नौकरी मिल सकेगी, यह तो सम्भव नहीं है बताना ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी रतन इंजीनियर्यारंग वर्क्स को कोई अनुदान या ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव---अनुदान के विषय में तो नोटिस की आवश्यकता है । लेकिन इस जमीन के मुआवजे के लिये उन्होंने ३० हजार रुपया जमा कर दिया ह ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं बतला दूं अगर इजाजत हो ?

श्री अध्यक्ष---बतला दीजिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनको ५० लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कुल कितनी भूमि ली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---रकबे के लिये श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है ।

*६७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---[हटा दिया गया ।]

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं । यह कल की खबर है---

"Sri Kotwal Singh Bhadauria M.L.A. was arrested today at 10-45 a.m. under orders of Additional Sub-divisional Magistrate, Chhibramau, at Chhibramau, District Farrukhabad under section 107/117 Cr. P. C.

Sri Bhadauria has not furnished security and has been admitted to the District Jail. Sub Divisional Magistrate has sent information to you according to rules by a letter. This is for your information."

[श्री अध्यक्ष]

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया एम० एल० ए० को कल १०-४५ मिनट पर सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के हुक्म से छिबरामऊ में गिरफ्तार किया गया १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की दफाओं के मातहत और चूंकि उन्होंने कोई जमानत नहीं दी इसलिये उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजा गया। इसकी सूचना पत्र द्वारा भी दी जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा तथा मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय जगन्नाथ लहरी उठाना चाहते हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी सूचना सम्बन्धित सदस्यों के पास पहुंचा दी है? उनके पास पहुंच गई है?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---जी हां। दोनों सदस्यों के पास पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष---माननीय नेकराम शर्मा, आपके पास पहुंच गई है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---जी हां, मुझे अभी मिली है।

श्री अध्यक्ष---और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, मुझे मिल गई है।

श्री अध्यक्ष---तो इस पर कंसेंट देने के पहले मैं यह जानना चाहूंगा माननीय जगन्नाथ लहरी से कि किस प्रकार वह समझते हैं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है?

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में, उनके कार्यों या चरित्र के सम्बन्ध में इस सदन में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रिमूवल के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तो उस पर जब विचार होगा.....

श्री अध्यक्ष---आप उसके लिये कारण बतायें कि उनके सम्बन्ध में क्योंकर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती ह। यह किस आधार पर आप कहते हैं कि उनके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हो सकती? आप तो सभी चर्चाओं को रोक रहे हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैंने लिखा है कार्य और चरित्र के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष---अध्यक्ष के कार्यों की दृष्टि से, अध्यक्ष अगर अध्यक्ष की हैसियत से कोई कार्य करे उसके विषय में तो चर्चा अनुचित है यह सर्वमान्य बात है। लेकिन आप कौन सी अन्य बात बताते हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि उस पर भी चर्चा नहीं हो सकती?

श्री जगन्नाथ लहरी---वही मैं कह रहा था कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी जो उपाध्यक्ष हैं उनका एक पत्र अध्यक्ष महोदय, आपके नाम एक व्यक्तिगत और गोपनीय पत्र प्रेषित हुआ था। लेकिन पायनियर समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में कोई सूचना निकलने पर एक प्रश्न आज से कुछ दिन पूर्व माननीय नेकराम जी ने उठाया। लेकिन उस समय आपने यह कहा कि क्योंकि उपाध्यक्ष यहां उपस्थित नहीं है उनके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने जो पत्र लिखा है वह गोपनीय है, व्यक्तिगत है, बिना उनकी राय के नहीं सुनाया जा सकता। कल आपने उस पत्र को सदन में सुनाया और सुनाने के बाद ही एकाएक माननीय नेकराम जी ने उपाध्यक्ष के पद के दुरुपयोग का प्रश्न यहां उठा दिया और मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस से, शायद मैं भूल नहीं कर रहा हूं, २५९ पृष्ठ का हवाला दिया था जिसमें बताया था कि जब उपाध्यक्ष भी एक नान-पार्टी मैन होता है उसे उसी तरह कार्य करना चाहिये और उपाध्यक्ष ने इस

पत्र को लिख कर उस संसदीय परम्परा को भंग किया है और ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष से पूछा जाय । साथ ही साथ जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया तो आदरणीय नेता सदन, माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि उनकी इस कार्यवाही से अब हम समझते हैं कि उन्हें उपाध्यक्ष पद से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये और उस समय उनके खिलाफ, यदि उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया, तो कार्यवाही की जायगी ।

इस तरह उपाध्यक्ष का पत्र जो गोपनीय था, उस पत्र को ले करके यहां टीका टिप्पणी की गई, उनके प्रति अवहेलना का सवाल पैदा किया गया, उनको अपना पद रिक्त करने के लिये, उससे सम्बन्ध विच्छेद और त्याग-पत्र देने की बात की गई । उस समय भी आपने यही व्यवस्था दी थी कि जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का कोई बाकायदा यहां पर प्रस्ताव न आ जाय, कोई चर्चा नहीं हो सकती । तो मैं यह कह रहा हूं कि जब तक कि कोई बाकायदा प्रस्ताव उस स्थान से हटाने के लिये पेश नहीं किया गया, श्री नेकराम शर्मा जी ने तथा माननीय नेता सदन ने जो प्रश्न उनके पद का दुरुपयोग करने, और स्थान से हटने की मांग करने का किया है, वही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है और इस दृष्टि से मैं आपके सम्मुख मांग करता हूं कि इन दोनों माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष के प्रति जो उनके अधिकारों के प्रति कार्यवाही की, उनके विशेषाधिकार की अवहेलना की है । इन दोनों माननीय सदस्यों के प्रति विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया जाय और विशेषाधिकार समिति को वह सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री दीवनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं इसका विरोध करता हूं .....

श्री अध्यक्ष---मैंने अभी अनुमति देना स्वीकार तो नहीं किया जो आप विरोध करें । लेकिन अगर आप यह बताना चाहते हैं कि यह प्रिवलेज का सवाल है या नहीं तो आप बता सकते हैं ।

श्री दीवनारायण मणि त्रिपाठी---मैं इसी विषय में कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम २२४ में लिखा हुआ है अध्यक्ष की पावर के बारे में । मैं उसको पढ़ दूं :

"224. No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall, be questioned.

इसमें अध्यक्ष की शक्ति का निश्चय किया गया है

मैं स्पष्ट कर दूं इस से परिणाम यह निकलता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन में जो कार्यवाही चलाते समय कोई निर्णय दें उसके बारे में कोई बात हो, कोई शंका हो या आपत्ति हो तब तो स्पीकर को सदन की मर्यादा की रक्षा करने वाला व्यक्ति मानकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है लेकिन जहांतक वह इस विधानसभा के एक सदस्य हैं और सदस्य के नाते कोई काम हो, मान लीजिये कि सदन के बाहर वह कोई ऐसा काम करें, या जिले में जाकर करें तो लोकल बाडीज को यह अधिकार है कि वह अगर कोई मर्यादा भंग करते हैं तो वह आज्ञा लेकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं । जहांतक बाहर की बात है उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं आया । एक पत्र की बात है, वह गोपनीय था उसको माननीय अध्यक्ष ने पढ़कर यहां सुनाया, इसलिये जाहिर है कि सदन की कार्यवाही से उनके पत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस लिये कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पायनियर अखबार में १२ सितम्बर को एक पत्र छपा था और उसके सम्बन्ध में मैं ने आप से एक स्पष्टीकरण चाहा था । उस पर आपने कहा था कि मैं उपाध्यक्ष जी से बात कर लूं और आपने उसकी गोपनीयता के बारे में भी बात कही थी । उसके बाद मैं ने कल फिर वह प्रश्न उठाया था और आप से पूछा था कि

[श्री नेकराम शर्मा]

आपने बात कर ली या नहीं और इस मामले की सच्चाई क्या थी और उसके बाद मैंने आप से यह भी कहा था कि आप मुझे यह भी आज्ञा दें कि मैं उनको रिमूव करने का प्रस्ताव पेश करूं। आप ने कहा था कि मैं बात कर लूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि बात करने के बाद मामला पेश हो। मैं उसी वक्त रिमूव करने का प्रश्न उठाने वाला था। इसमें कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठता। एक पत्र था जो प्रकाशित हुआ अखबार में, वह आप ने गोपनीय बताया लेकिन सदन को उसके विषय में जानने का हक था कि उसमें क्या सच्चाई थी। इसलिये इसमें कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेकराम शर्मा ने यह कहा कि पायनियर में जो पत्र प्रकाशित हुआ था उस सम्बन्ध में मैंने आप से पूछा था। जहांतक पायनियर का सम्बन्ध है, उसे श्री नेकराम जो फिर पढ़ेंगे तो वह पत्र कभी भी यह सिद्ध नहीं करता कि वह चीज माननीय उपाध्यक्ष की ओर से प्रकाशित हुई थी, वह तो केवल एक विश्वस्त सूत्र की सूचना थी, वह पत्र बिलकुल व्यक्तिगत और गोपनीय था जैसा कि आप ने भी बताया था कि वह 'माननीय खेर साहब' कर के सम्बोधन किया गया था और उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी, केवल बात इतनी थी कि जब कि विरोधी दल और सत्ताधारी दल में एक खिचाव चल रहा है उस स्थिति में उन्होंने केवल एक सुझाव दिया था कि मेरी यह राय है। उपाध्यक्ष माननीय अध्यक्ष के एक सहयोगी और साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने केवल उन को एक व्यक्तिगत राय ही दी थी, कोई ऐसी राय उन्होंने नहीं दी कि जिससे कोई सदन की मर्यादा भंग होती हो। लेकिन फिर भी पत्र पढ़ने के बाद माननीय नेकराम जी ने यह मांग की कि आप उसके स्पष्टीकरण के बाद उन्हें कहने का मौका दें और उसके बाद उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस उद्धरण को पेश कर के कहा कि उन्होंने एक नान--पार्टीमैन का पार्ट न अदा करके सदन की मर्यादा को भंग किया है। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उसमें उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष पर लांछन भी लगाया था, आप चाहे तो वह कार्यवाही मंगा कर पढ़ सकते हैं और इस चीज पर पूरे तौर से प्रकाश पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में श्री नेकराम शर्मा ने माननीय उपाध्यक्ष के प्रति जो कार्यवाही की वह विशेषाधिकार में आती है। इस तरह से उन्होंने मर्यादा को खंडित किया है और अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के जो एक विशेष निष्ठा और प्रतिष्ठा के पद हैं वह प्रतिष्ठा और निष्ठा के पद न रह जायंगे। अगर ऐसी बातें होंगी तो वे साधारण कार्यकर्त्ताओं के से पद रह जायंगे। तो अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा रखने और उस पद के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये यह आवश्यक है कि आज.....

श्री अध्यक्ष---देखिये, आप केवल वैधानिक बात कहिये। यह अब 'प्रोप्राइटी' की बात नहीं है।

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल इतना है कि अब हमारा सदन चल रहा है, आपकी आज्ञा से चल रहा है, सदन की अनुमति से चल रहा है। उस पर उपाध्यक्ष का यह पत्र दे देना कि मैं सदन का यह अधिवेशन उचित नहीं समझता हूं और मैं इसमें उपस्थित नहीं हूंगा, तो यह सदन की मर्यादा पर ठेस पहुंचती है। आपने कल भी जो पत्र पढ़ा उसमें भी उनसे बात-चीत करने के बाद मालूम हुआ कि वह इस बात पर दृढ़ हैं। तो कोई सदस्य अगर अनुपस्थित रहे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मगर यह कह कर के वह एक प्रकार का वाक आउट है कि मैं नहीं रहना चाहता....

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट पर न जाइये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं यह कह रहा हूं कि चूंकि उन्हों ने यह बात कही थी, इसलिये सदन को अधिकार है कि जो उन्होंने समाचारपत्रों में भी दिया और आपके पास

भी लिखकर दिया तो उस पर माननीय सदस्य को और माननीय नेता सदन को यह अधिकार था कि वह इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करें कि किस प्रकार हमारा सदन उनकी इस कार्यवाही को देखता है ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो दो शब्द कहना चाहता था । श्रीमन, इसमें जैसा कि लहरी जी ने प्रश्न उठाया था कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं हुआ तो जितनी बातें उन्होंने बतायीं उनसे कोई आधार तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि जो उनका कंटेंशन है उसका आधार क्या है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय नेकराम जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बात कही वह इसका कारण नहीं हो सकती । मैं यह समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध वोट आफ नो कानफिडेंस का आना एक बड़े महत्व की बात होती है, कोई मामूली बात नहीं होती और जो भी माननीय मेम्बर, इसको उठाना चाहते हैं उनको बड़ी डेलीकेसी भी होती है, संकोच भी होता है । कुछ चीजें अखबारों में छपीं, उनके आधार पर आपसे उन्होंने यह स्पष्टीकरण चाहा कि वाकई चूंकि उनके मन में एक बात थी कि शायद वह कोई वोट आफ नो कानफिडेंस लाते, वह एक पृष्ठभूमि थी, वह जानना चाहते थे कि कोई इस तरह की बातें हुई या नहीं । तो उन्होंने कल जो कुछ कहा वह एक प्रिकर्सर है कि जो आइंदा होने वाला है । मैं समझता हूं, जब कभी ऐसा प्रश्न आयेगा तो कोई न कोई चर्चा इस तरह की होना अनिवार्य होता है । उसके पीछे कोई इस तरह की भावना का लगाव लगाना कि कोई अपमान की बात थी तो अपमान की बात नहीं है ।

एक बात और बताऊं कि जो आपको पत्र लिखा गया था वह गोपनीय जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने ऐक्ट किया, जो ऐक्शन लिया कि इस हाउस में आने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि आये ही नहीं, तो चिट्ठी लिखी और ऐक्ट भी किया, तो मुझे केवल आपसे इतना कहना था कि जो कुछ यहां पर कहा गया वह केवल स्पष्टीकरण इसलिये था ताकि पूरा ज्ञान हो जाय और उसके बाद जो कांस्टीट्यूशनल तरीका इस हाउस का है उसको हम उठा सकें, ला सकें । इसलिये कोई सवाल ब्रीच आफ प्रिविलेज का उठता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---माननीय लहरी जी ने बताया तो नहीं कि किस प्रकार से यह प्रिविलेज का सवाल होता है, क्योंकि जो अभी इस विषय पर सदन में चर्चा हुई, जो बात चीत हुई, उसका भी थोड़ा सा इतिहास है । पहले श्री उपाध्यक्ष जी ने मुझे एक गुप्त पत्र लिखा था, उसका सारांश अखबारों में छप गया । मुझे उपाध्यक्ष ने बताया है कि उसका उन्होंने अपने साथियों से जिक्र किया था और साथियों ने शायद उसको दूसरों को बता दिया और वह अखबारों में छप गया । पहले मैंने यह उचित समझा कि जब तक उनसे पूछ न लूं और बात चीत न कर लूं तब तक सदन को न बताऊं । यह प्रश्न नेकराम शर्मा जी के द्वारा उठाया गया था और उन्होंने भी सवाल ब्रीच आफ प्रिविलेज का उठाया था । मैंने इसके लिये कहा था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का कोई सवाल इस विषय में उठता नहीं है । और मेरी अब भी यह राय है कि उपाध्यक्ष अगर इस तरह की बात लिख भी दें तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता क्योंकि सदन को यह अधिकार है कि अगर वह समझता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ठीक काम नहीं करते हैं तो उनको उनके पद से हटा दें । इसलिये आप उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं ला सकते । किसी सदस्य के खिलाफ आप ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न ला सकते हैं क्योंकि आप उसको मेम्बरी से नहीं निकाल सकते हैं । तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब आप हटाने की शक्ति रखते हैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाने की आवश्यकता आप को नहीं पड़ती । इसीलिये मैंने कल आप से कहा था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उनके खिलाफ आप नहीं ला सकते चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको मैं बाद में बताऊंगा ।

[श्री अध्यक्ष]

कल ही मैंने उनसे बात करके सदन को बता दिया था और मुझसे जब पूछा गया कि मेरी क्या राय है और नेकराम शर्मा जी ने 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' से पढ़ कर यह बताया कि दो ही रास्ते हैं, या तो वे इस्तीफा दें अगर सदन का कार्य नहीं करते हैं या सदन उनको हटाने के लिये कोई प्रस्ताव लाये। मैंने कहा कि यह बड़ा नाजुक मामला मेरे लिये है, उपाध्यक्ष मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, मैं कोई अपनी राय इस वक्त इस सम्बन्ध में नहीं दूंगा। यह तो सदन को सोचना है कि वह क्या करे। फर्ज कीजिये कि मैं कहता हूं कि मैं कुछ अवसर तक काम नहीं करूंगा तो यह तो आपके ऊपर है कि आप मुझसे काम लेना चाहते हैं या नहीं मुझको आजादी देना चाहते हैं कि मैं उस अर्से तक काम करूं या न करूं। क्योंकि उपाध्यक्ष जी कहते हैं कि चूंकि विरोधी दल सदन में नहीं आते हैं इसलिये तब तक वह सदन में नहीं आयेंगे और आप उस बात को कंडोन करते हैं तो यह अख्तियार आप को है कि आप उन्हें आजादी दें। और इसीलिये मैंने कहा था कि मेरी आंखें तो आपकी आंखें हैं, जो आपका इरादा है वह मेरा इरादा है, जो आपके सिद्धान्त हैं वही मेरे सिद्धान्त हैं, और दूसरे नहीं हो सकते।

इसके ऊपर मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक सुझाव दिया था जिसे मैंने केवल सुझाव के रूप में लिया था। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पुस्तिका में इंगलैंड के पार्लियामेंट की प्रथा इन शब्दों में दी है :—

"*Matters to be dealt with by a substantive motion*—Certain matters cannot be debated save upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House. Among these may be mentioned the conduct of the Sovereign, the heir to the throne, the Governors-General of the Dominions, the Lord Chancellor, the Speaker, the Chairman of Ways and Means, members of either house of Parliament and judges of the superior courts of the United Kingdom, including persons holding the position of a fudge, such as a judge in a court of bankruptcy and of a county court, or a recorder."

इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के काम करने या न करने के बारे में प्रश्न पर सब्स्टैंटिव मोशन के बगैर सदस्य डिबेट नहीं कर सकते और जब सदन डिबेट करे तो उसके ऊपर वोट लेने का भी मौका होना चाहिये। इसीलिये मैंने जब देखा कि उसकी डिबेट की शक्ल होने जा रही थी तो उस बात को वहीं रोक दिया था। चूंकि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सदन की भावना है तो मैंने कहा कि सदन के नेता की राय और कुछ सदस्यों की राय यह है लेकिन सदन की क्या राय है यह तो जब सदन में कोई प्रस्ताव आयेगा तब मैं उसको लूंगा। इसीलिये मैंने आगे उस सुझाव पर विवाद रोका था। यह तो संभव है नहीं कि किसी के मुंह से कोई चीज जो इस नियम में दिया हुआ है उसके बाहर न निकले, सदन में कई बातें सदस्यों के मुंह से निकल सकती हैं। इसलिये अध्यक्ष अनियमित बात बीच में ही रोक देता है।

इसलिये हर बात पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर हर बात पर जिसे मैं विवाद करने से रोक दूं तो जितनी बात कह दी गयी है उस पर तत्काल ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न लाया जायगा क्योंकि रूल्स की पावन्दी न करना और उनको तोड़ना भी ब्रीच आफ प्रिविलेज में शामिल समझा गया है। लेकिन हम जब बोलते-बोलते नियमों का उल्लंघन कर देते हैं तब मैं कह देता हूं कि इस तरह से आप चर्चा मत कीजिये उतने से ही ब्रीच आफ प्रिविलेज पैदा नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्ष को अधिकार है कि वह डिबेट को रोक दे और जब बाद एक गया तो काफी नियंत्रण हो गया। अगर इस नाजुक अवस्था में आदरणीय सदन के सदस्यों के मन में यह बात आई कि इस हद तक मामला न पहुंचाया जाय कि जिद्दमजिदा होकर कहीं उपाध्यक्ष के काम न करने पर सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव आये कि उनको हटाया जाय तो ऐसी अवस्था में सुझाव देना कि वे इस्तीफा दे दें, इतना ही कह देने से यह बात पैदा नहीं होती है कि उक्त सदस्य उपाध्यक्ष का अपमान करना चाहते थे। उपाध्यक्ष की हैसियत से यहां बैठकर जो कुछ उन्होंने किया है, उसके ऊपर आक्षेप हो या उनकी इम्पारशियलिटी के ऊपर आक्षेप हो, या जो फैसले उन्होंने

दिये हैं, उन पर आक्षेप होता तो मैं उस प्रश्न को तत्काल रोक देता और न मानने पर विशेषाधिकार की अवहेलना हो जाती। इस प्रश्न पर तो केवल उपाध्यक्ष के पत्र पर टीका हुई थी और सुझाव दिया गया था। मैंने भी एक रास्ता दिखा दिया था कि अगर आप चाहें तो उनसे बातचीत करके उनको राजी कर सकते हैं या दूसरा रास्ता यह है कि कानूनी कार्यवाही करें या सदन की राय लेना चाहते हैं तो जो संविधान में दिया है, वह होना चाहिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी हद तक प्रश्न सीमित रहा और कोई डिबेट नहीं हुई और खाली सुझाव देकर इसको समाप्त कर दिया गया, इसलिये प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि सवाल उठाया जाय।

'स्वतंत्र भारत' में श्री अध्यक्ष के भाषण की गलत रिपोर्टिंग का सुधार

श्री अध्यक्ष—जो पत्रकार यहां बैठे हैं उनके ध्यान में मैं एक चीज लाना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने कल रामसिंह जी चौहान का जिक्र किया था। मैं उनसे बलरामपुर अस्पताल में मिलने गया था और उन्होंने जो पहला बयान दिया था उस संबंध में मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने अपने चोट लगने के बारे में जिक्र किया था कि उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से उनके चोट लगी। उनको धक्का लगा जिससे उनके हाथ की श्रृंखला अलग हो गयी थी, हाथ टूटा नहीं था बल्कि श्रृंखला से हाथ छूट गया था। लेकिन मुझे दुख है कि यद्यपि पुलिस ने पूरी शक्ति से जोर लगाकर हाथ छड़ाया उस समय उनका हाथ नहीं टूटा, लेकिन 'स्वतंत्र भारत' की एक कलम से उनका हाथ टूट गया क्योंकि उसकी कलम ऐसी चली कि उसमें लिखा है कि हाथ टूट गया। आज के स्वतंत्र भारत में यह लिखा है कि आज विधान सभा में अध्यक्ष श्री खेर ने श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि श्री राजनारायण आदि के पी० ए० सी० द्वारा सदन के हटाये जाने पर जब श्री रामसिंह चौहान बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किये गये तो मैं वहां उनसे मिला। पहले बयान में उन्होंने बताया कि जब वे अपने एक साथी को, जिसे पुलिस हटाना चाहती थी, कसकर पकड़े हुए थे तो उस पर पुलिस का जोर से डंडा पड़ा जिससे हाथ टूट गया और पेड़ू में इतना तेज दर्द उठा कि वे अचेत हो गये। मैं सूचना देता हूं कि उनका हाथ मौजूद है। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की थी कि वह अच्छे हो रहे हैं तो कृपा करके आप अखबार में छपवा दीजिये कि कोई मुझसे मिलने न आये। अब यदि कोई हाथ टूटने की बात पढ़ेगा तो समझेगा कि उनका हाथ टूट गया है और दौड़ कर उनके पास आयेंगे उनके रिश्तेदार। इसलिये मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र भारत कृपा करके इसको दुरुस्त कर लें। मैंने यह कहा था कि धक्का जोर से पड़ा जिससे हाथ जो फंसा हुआ था वह छूट गया "टूट गया" ऐसा मैंने नहीं कहा था बल्कि 'हाथ छूट गया' यह कहा था। इसके बाद उन्होंने यह भी लिखा है—"श्री चौहान के इस बयान के बाद मुझे जो पत्र लिखा उसमें बताया कि लगता है कि डंडा नहीं बूट की ठोकर मारी गयी है"।

डंडे का भी मैंने जिक्र नहीं किया था। मैंने यह सजेस्ट किया था कि शायद उसमें जूता लगा हो। उसके ऊपर शायद उन्होंने लिख दिया हो क्योंकि मेरे पास जो खबरें आयीं थीं, वे कई तरह की थीं। यहां पर किसी पत्रकार ने कहा था कि श्रृंखला तोड़ने के लिये घुटनों का इस्तेमाल किया गया, हाथों से हाथों को पकड़ लिया और घुटने से श्रृंखला के ऊपर जोर मारा, इसलिये हाथ से हाथ छूट गये। किसी ने कहा कि श्रृंखला छुड़ाना पैर से किया गया। तो मैंने उनको यह बात सजेस्ट की थी इसलिये कि वहां के डाक्टर पूरे तौर से उसकी जांच कर लें और वे कहीं मिसलीड न हो जायं अपनी जांच में, इसलिये मैंने यह बात सजेस्ट की थी। मैं "समझता हूं कि यहां पर "स्वतंत्र रत" के जो प्रतिनिधि हों वह कृपा करके बता दें कि यह गलती से "छट गया" के स्थान पर "टूट गया" छप गया है। और डंडा मारने का कोई सवाल नहीं है। लखनऊ में जो तरीका है कुछ थोड़ा सा यहां पर भी दिखाई पड़ा। बहुत से लोग यहां पर सजग, सचेत नहीं रहते हैं, कभी पेंग जाते हैं, उन्हें ऐसा न करके खूब अच्छी तरह से सुनकर फिर रिपोर्ट देना चाहिये।

१९५४-५५ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग (अभियंत्रण) और उपनिवेशन के अन्तर्गत ५३,१२,१५० रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है। यह रकम वह है जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन द्वारा जो काम कराया था उसकी मांग है। सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन ने जो यहां काम किया था हमारा खयाल था कि उसकी किस्तों में अदा कर देंगे। उन्होंने यह मांग की कि वह एकमुश्त अदा कर दी जाय और यह मांग फाइनेंशियल इयर के क्लोज होने के बाद आयी थी इसलिये यह पहले बजट में नहीं रखी जा सकी थी। इसलिये यह इस वक्त मैं पेश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इसको सदन स्वीकार करेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल की आज्ञानुसार कृषि मन्त्री महोदय ने इस सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये ५३,१२,१५० रुपये की मांग प्रस्तुत की है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह कितने दुख की बात है कि अब हमारा वित्तीय बजट भी एक बनिये की दूकान बना चला जा रहा है। बनिये की दूकान पर आमदनी और व्यय का कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। आमदनी और व्यय का कोई तखमीना नहीं होता है। वह सुरसा के बदन की तरह घटती बढ़ती रहती है लेकिन किसी राज्य सरकार का बजट एक संतुलित बजट होता है। उसके बनाने में काफी समय व्यतीत होता है। अधिकारी अपनी शक्ति और ज्ञान का भरपूर प्रयोग करके वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करते हैं। यदि हम १९५४-५५ के बजट को देखें तो हमें पता चलेगा कि इस वर्ष में जो बजट था वह ७७,१५,८४,४०० रुपये का था और उस बजट में यदि कोई खामी रह जाती है, बजट के तखमीनों को देखने के बाद ६ महीने तक आमदनी और खर्च का हिसाब लगाने के बाद एक बार पुनः हमारे अर्थ विशेषज्ञ अपनी निगाह डालते हैं और उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और यदि वह महसूस करते हैं कि वित्तीय वर्ष के बजट में अनुदानों के जो तखमीने रखे गये हैं, उसके अतिरिक्त कुछ और खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तब वह एक पूरक बजट भी पेश किया जाता है। १९५४-५५ में जो पूरक बजट था वह १,५९,५१,२०० रुपये का था। तो उस पूरक बजट के द्वारा यदि कोई कमी बजट में रह जाती है तो उसकी पूर्ति की जाती है। यदि कोई मांग किसी वजह से किसी विभाग की शेष रह जाती है तो उसमें उसकी पूर्ति की जाती है।

हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने इस मांग को प्रस्तुत करते समय जो कारण प्रस्तुत किया है वह उनकी जानकारी में था कि केन्द्रीय संगठन को जो रुपया उसके काम के लिये देना पड़ेगा उसको वह किस्तों में अदा करेंगे। मेरे पास पूरक बजट भी है और वित्तीय बजट भी है। मैंने उसमें देखने की कोशिश की, लेकिन जहां तक मैं देख सका मेरी निगाह में कहीं भी बजट या पूरक बजट में वह रकम दिखाई नहीं दी जिससे यह पता चले कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को उसके कार्य करने की एवज में किस्तों में इतना रुपया हमारी सरकार को अदा करना है। आप कहते हैं कि उनका इरादा था कि किस्तों द्वारा अदा करेंगे लेकिन यकायक केन्द्रीय सरकार की मांग आगई। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यतया इस कारण कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ की समाप्ति के एक दिन पूर्व भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में व्यय किस्तों में जमा किये जाने के बजाय एक मुश्त जमा किया जाना चाहिये। भारत सरकार क इस निर्णय की सूचना इस सरकार को वित्तीय वर्ष समाप्त हो

जाने के उपरान्त मिली और इसलिये लेखों में समायोजन बाद में ऐसे समय पर करना पड़ा जब कि विधान मंडल से पूरक अनुदान प्राप्त करना सम्भव नहीं था। तो अध्यक्ष महोदय, जो भी कारण अनुदान संख्या २२ के सम्बन्ध में इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस्तों के द्वारा रुपया जमा करने के लिये केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं हुई और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक दिन पूर्व इस प्रकार का पत्र सरकार को मिला कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को एक मुश्त रकम अदा करनी चाहिये। और वह रकम भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ५३,१२,१५० रुपये की है जो वह चाहते थे कि तुरन्त अदा हो। गत वर्ष भी हमने १९५३-५४ के वित्तीय बजट की अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में विचार किया था तो उस समय भी केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की जो रकम थी वह भी अतिरिक्त अनुदान के रूप में हमसे स्वीकार कराई गई। आज १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष की जो अतिरिक्त मांगें हम लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी वह सारी की सारी रकम जो कि ५३ लाख रुपये से अधिक है हम लोगों से अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्वीकार कराने के लिये मांग की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कुछ समझ में नहीं आता कि जब १९५३-५४ के अभी इसी मद के रुपये को अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्वीकार किया और १९५४-५५ के रुपये को भी अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो पता नहीं कि आगे १९५५-५६ और १९५६-५७ में इस तरह की परम्परा बनी रहेगी या नहीं।

ट्रैक्टर संगठन का रुपया हमारे कृषि मन्त्री इस वित्तीय वर्ष में न स्वीकार करके या पूरक बजट में स्वीकार न करके अतिरिक्त मांगों के रूप में उसको स्वीकार करा रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि अतिरिक्त मांगों के लिये बहुत थोड़ा समय सदन को विचार के लिये दिया जाता है। उसके ऊपर कोई सामान्य बहस भी नहीं होती है। तो एक सुगम रास्ता अपना लिया गया है कि बड़ी बड़ी रकमें बजट में और पूरक बजट में न रख कर, अतिरिक्त मांगों द्वारा सदन से स्वीकृत करा ली जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि वह सदन को बताने की कृपा करें कि इस सदन में बजट में और पूरक बजट में इस रुपये का तखमीना क्यों नहीं रखा गया। संभव था कि शायद पूरा तखमीना इस सदन में न रख सकते लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी यह बता सकेंगे कि उनके बजट में कितना रुपया किस्तों में अदा करने के लिये रखा गया था। न आपने किस्तों के लिये रुपया रखा बजट में या पूरक बजट में, लेकिन आज चार पांच साल बाद इस सदन के सामने एकाएक हमसे अतिरिक्त मांगों के लिये स्वीकृति ली जा रही है।

जैसा मैंने पहले कहा था, आज भी कहता हूं कि यह कोई बनिये की दूकान नहीं है। यह शासन का बजट है, प्रदेश का बजट है जिस पर हमें सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना चाहिये। एक-एक पाई का हिसाब रखा जाता है, तखमीना लगाया जाता है और उसके मुताबिक बजट के दायरे में रह कर खर्च किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ७७ लाख के बजट में १ लाख ५१ हजार की अतिरिक्त मांगे भी रखी गयी। लेकिन आज सदन के सम्मुख जो अतिरिक्त मांगें रखी गयी हैं वह २ लाख ९४ हजार के करीब हैं जो कि पूरे बजट का ४ प्रतिशत होता है। तो क्या हमारे अधिकारी और कर्मचारी इतना अन्दाज भी नहीं लगा सकते थे कि उनको १०० रुपये के खर्च में ४ रुपये के खर्च की अतिरिक्त स्वीकृति लेनी पड़ेगी? इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात विनम्र शब्दों में कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक बार पुनः अपने विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर लें और इस बात का पता लगायें कि वास्तविक दोषी कौन है जिसकी वजह से वित्तीय बजट में यह रुपया नहीं आया और उस रुपये को, जिसे भारत सरकार को अदा करना पड़ा, एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में सदन में स्वीकृति के लिये लाना पड़ा। अगर यही रवैया रहा तो हमारे अधिकारी-गण और हमारे विभाग अन्धाधुन्ध खर्च करते रहेंगे जिसकी इस सदन में कोई चर्चा नहीं होगी और इसे कोई पता भी नहीं होगा। चार, पांच साल बाद आडिट रिपोर्ट आने पर जब कोई एतराज उठाया जायगा तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में बजट ला कर स्वीकृति

[श्री जगन्नाथ लहरी]

ले ली जायगी और स्वीकृति सदन को देनी पड़ेगी, क्योंकि रुपया खर्च हो चुका और दिया जा चुका। एक रस्म अदायगी के लिये सदन में मांग रखी जायगी। इन शब्दों के साथ कृषि मन्त्री महोदय ने जो मांग प्रस्तुत की है, मैं उसका विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इस मांग को स्वीकृत करने से पूर्व उन अधिकारियों के आचरण की जांच की जाय जिनकी वजह से यह रुपया खर्च करना पड़ा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के किसी सदस्य का यह सोचना कि यह जो एक्सेस ग्रान्ट्स हैं यह सदन को कम समय दे कर, सदन को भुलावे में डाल कर स्वीकृत कराने का खयाल है, कुछ बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह के प्राविजन्स कांस्टीट्यूशन में दिये हुये हैं कि बजट पेश होता है और अगर बजट में किसी चीज की कमी रह जाय तो उसके बाद सप्लीमेंटरी ग्रान्ट आती है और अगर कभी ऐसा मौका हो कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के बाद भी उससे ज्यादा खर्च हो जाय तो उसको एक्सेस ग्रान्ट की शक्ल में इस सदन में लाया जाता है। इन तीनों चीजों के बारे में विधान में साफ तौर से प्राविजन दिया हुआ है। अब जो परिस्थिति है वह साफ तौर से बता दी जाती है, सदन को मौका दिया जाता है उसको देखने का। इसलिये इस तरह की कोई चीज कि सदन को भुलावा देकर, सदन को गलतफहमी में डालकर कोई रकम मंजूर करायी जा रही है, इस भ्रम को माननीय सदस्यों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये।

जहां तक इसका ताल्लुक है कि इंस्टालमेन्ट क्यों नहीं लगाया गया तो जब तक उसकी लिखा-पढ़ी न हो जाय कि किस तरह का और कितना इंस्टालमेंट होगा, तब तक उसकी रकम अंदाजा करके लिखना ठीक न होगा। बजट में अभी तक इस तरह का कोई तरीका नहीं है कि अन्दाजे से कोई रकम लिख दी जाया करे। अगर इस तरह की कोई अन्दाजा रकम बजट में लिख दी जायगी तो अभी माननीय सदस्य ही यह एतराज करेंगे कि वह बनिये की दूकान बन गयी। यह खर्चा बिलकुल जायज खर्चा हुआ है, कायदे के लिहाज से हुआ है और यह इस डिमान्ड के द्वारा ही यहां आ सकता था। इसलिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि बिना किसी गलत-फहमी में पड़े हुये, वह इसको स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--कृषि इंजीनियरिंग (अभियंत्रण) और उपनिवेशन के अन्तर्गत ५३,१२,१५० रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २१,९३,८११ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २१,९३,८११ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय

श्री गिरधारीलाल--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,०६,४४१ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,०६,४४१ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार किये जाने की मांग की है। मैं इसका विरोध करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान इस अतिरिक्त बजट में अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत, जिसके लिये वह मांग कर रहे हैं, जो कारण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि "इस व्ययाधिक्य का मुख्य कारण यह है कि डिवीजनों द्वारा, जो कि राज्य भर में यत्रतत्र अवस्थित हैं, वर्ष के अंत में यात्रिक भत्ते के संचित बिलों तथा बकाये वेतन के बिलों को भुनाया गया। यह एक ऐसी आकस्मिक घटना थी जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी"। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं--"यह एक ऐसी आकस्मिक घटना थी जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी"। आज हम यह तो कह सकते हैं कि इस प्रदेश की खाद्य स्थिति ऐसी खराब हो गयी कि वह एक आकस्मिक घटना हो गयी तथा हमारे पश्चिमी प्रदेश जो अन्न के भंडार कहलाते हैं, वहां बाढ़ आ गयी या फसल नष्ट हो गयी। लेकिन अधिकारियों द्वारा १,००,००० से अधिक यात्रिक भत्ते के रूप में वसूल करके आकस्मिक घटना हो गयी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, एक नया बहाना यह सदन के सामने आ रहा है। एक आकस्मिक घटना जिसकी पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक तो इब्तदा हुई है कि एक लाख से अधिक रुपया उसके अधिकारी भत्ते के रूप में वसूल करने लगे और आकस्मिक रूप में वसूल करने लगे जिसकी पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तो आप कल्पना कीजिये कि "इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या", जब यात्रिक भत्ते के रूप में आपके अधिकारी बिना किसी पूर्व कल्पना के १,००,००० रुपये से अधिक वसूल करने लगे तो पता नहीं कि आगे वे क्या-क्या करें और कितने रुपये किस तरह से वसूल करने लगें। यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसकी जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी है। आज उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सरकार को भुलावे में रख कर एकाएक जो सरकार की कल्पना से भी परे हो, कभी कल्पना में भी खयाल न आ सकता हो, इस तरह का हथकंडा किया, और एक लाख से अधिक रुपया यात्रिक भत्ते के रूप में वसूल कर लिया, क्या कार्यवाही की गयी। इस तरह से रुपया वसूल करने की एक नयी परिपाटी इस प्रदेश में कायम होती जा रही है। आज सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये जिन्होंने जनता के इस रुपये का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है। उन अधिकारियों को चाहिये था कि इस सम्बन्ध में कम से कम इस सदन की या कम से कम इस मंत्रिमंडल की आज्ञा ले ली होती लेकिन इन स्वेच्छाचारी अधिकारियों के द्वारा, नौकरशाही द्वारा पूरी तरह से अपना हथकंडा दिखलाने की कोशिश की जाती है। न तो उन्होंने इस सदन को इसकी सूचना दी .....

श्री अध्यक्ष--बहुत लम्बी बहस आप न करें, संक्षेप में ही बोलें, क्योंकि यह एक्सेस ग्रान्ट के बारे में है। चूंकि आपही एक उधर से बोलने वाले हैं इसलिये मैंने लंबा बोलने के लिये इजाजत दे दी लेकिन वैसे एक्सेस ग्रान्ट के सम्बन्ध में सिद्धांत यह है कि इस पर माननीय सदस्यों को इस कारण संक्षेप में बोलना चाहिये, क्योंकि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में इन सब खर्चों को देख लिया जाता है। इसीलिये इसके ऊपर अधिक आम बहस नहीं होती। बल्कि दो साल बराबर मैं इस तरह

[श्री अध्यक्ष]

का एक-सा निर्णय दे भी चुका हूं। फिर इसका एक विनियोग विधेयक आयेगा, उसके ऊपर कुछ आम बहस थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन हर ग्रान्ट पर आम बहस नहीं हो सकती। अगर ग्रान्ट में कोई चुभन हो, या उसके हिसाब में कोई गड़बड़ी हो तो आप बतला सकते हैं लेकिन आम बहस, मैं समझता हूं कि आप न करें।

श्री जगन्नाथ लहरी--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं तो एक नुक्स ही दिखला रहा हूं कि यह एक ऐसी आकस्मिक घटना थी जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नुक्स और कुछ नहीं हो सकता है। जो बात सरकार और उसके विशेषज्ञों के दिमाग में नहीं आ सकती थी, उसके विपरीत एक ऐसी घटना घटी कि सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों ने १,००,००० रुपये से अधिक यात्रिक भत्ते के रूप में वसूल कर लिया। हमारे इस प्रदेश में लगभग ५० विभाग हैं और किसी विभाग ने ऐसी कार्यवाही नहीं की। लेकिन इस ग्रांट के स्वीकृत होते ही दूसरे विभाग के अधिकारियों को भी इस प्रकार का हौसला हो जायगा कि वे भी इस प्रकार बजट ईयर के बाद भी यात्रिक भत्ते का रुपया वसूल करने लगें और एक आकस्मिक घटना को एक सही घटना बना दें। तो उसको रोकने के लिये मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

*श्री लक्ष्मीकिशोर--अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारे विधान में इस तरह का प्राविजन है और ऐसा होता चला आया है कि एक्सेस ग्रान्ट्स हाउस के सामने पेश होते हैं उसकी स्वीकृति के लिये। यह सही है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इसकी जांच की है और यह पैसा खर्च हुआ और सदन इसके लिये अपनी स्वीकृति भी देगा। परन्तु श्रीमन्, एक बात मैं महसूस करता हूं कि कांस्टीट्यूशन का कोई प्राविजन हो उसकी आड़ में हम डिपार्टमेंटल इनएफिशियेंसी को छिपाने की कोशिश करें तो यह ज्यादा अच्छी बात नहीं है। मैं यह बात नहीं समझ पाया और मैं अपने भाई से इत्तफाक करता हूं, माननीय जगन्नाथ लहरी जी से कि यह जो इसमें लिखा हुआ है कि भत्ते में १,००,००० रुपया ज्यादा खर्च हो गया, जबकि एक बार बजट हमारा आता है, फिर सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आती हैं, दो--दो मौके मिलने के बाद भी डिपार्टमेन्ट को इस बात का एहसास और अन्दाज न हो सका कि हमारे भत्ते में इतना पैसा ज्यादा खर्च हो जायगा। मैं इसको ऐक्सीडेंटल चार्ज कभी नहीं मान सकता और अनएक्सपेक्टेड मानने के लिये भी श्रीमन्, मैं तैयार नहीं हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक लापरवाही का जो दौर चल रहा है तमाम विभागों के अन्दर और कोई नियंत्रण नहीं है कर्मचारियों के भत्ते के ऊपर और उनके दौरा करने के ऊपर, उसके कारण यह है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात को देखें क्योंकि यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है कि वह एक ऐसा विभाग है कि जिसके बारे में बहुत सी धाराणायें हमारे देश और प्रदेश के अन्दर हैं। तो यह खास तौर से उनका फर्ज हो जाता है कि वह ज्यादा माइन्यूटली अपने इस विभाग के कार्यक्रम को देखें कि दो-दो मौके मिलने के बाद भी इस तरह से १,००,००० रुपया अधिक खर्च हो जाय।

इसके पीछे एक बात यह मालूम पड़ती है कि खर्चा तो हुआ मगर अधिकारियों ने जितना उनके लिये उनका ड्यू था उससे ज्यादा खर्च कर दिया। तो या तो वह अपने जवाब में बतायें कि कौन सी ऐसी खास स्थिति आयी कि उनको दौरा बहुत ज्यादा करना पड़ा। कौन से ऐसे काम थे या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके लिये उनको ज्यादा दौरा करना पड़ा और जबकि श्रीमन्, हर प्रोजेक्ट के साथ काफी पैसा उनके दौरे के लिये बजट में होता है। यह इस बात का भी एक सबूत है जिसको कि हम बार-बार छः साल से इस हाउस में रख रहे हैं कि जहां तक एस्टीमेट्स का ताल्लुक है उनके ऊपर कोई ध्यान डिपार्टमेन्ट देता ही नहीं है। मनमाने तरीके से एस्टीमेट्स बना दिये, खर्च चाहे अधिक हो जाय, चाहे कम हो जाय। और कम तो कभी होता नहीं श्रीमन्, यह सौभाग्य तो कभी होता नहीं कि जितने एस्टीमेट्स हैं उससे कम में काम खत्म हो जाय। हां,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे दुगुने, ढाई गुने, तिगुने तक एस्टीमेट्स पहुंच जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है। जहां तक इस ग्रान्ट का सम्बन्ध है उसका तो मैं समर्थन करता हूं। उसे स्वीकार किया जाय। लेकिन यह जरूर है कि यह इस बात का सबूत है कि डिपार्टमेन्ट में कहीं न कहीं इनएफिश्येंसी जरूर है।

*श्री गिरधारी लाल—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मेरे डिपार्टमेन्ट के सिलसिले में बहुत सी बातें कही गई। मैं तो सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि मुझे इस वक्त ठीक याद नहीं कि इस वर्ष का कितना बजट था लेकिन आम तौर पर पन्द्रह बीस करोड़ रुपये का पूरा पी० डब्लू० डी० बिल्डिंग और रोड का बजट हुआ करता है। इतनी बड़ी हमारी स्टेट है और ज्यादा काम जिस वक्त होता है उस वक्त दौरे भी ज्यादा हुआ करते हैं और दौरे में खर्च ज्यादा होता है। यह मैंने माना कि यह आकस्मिक हुआ, इसका पहले से ध्यान नहीं हुआ, होना चाहिये था। बजट में इसके लिये पहले से ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिये था या सप्लीमेंटरी बजट के मौके पर इसको मंजूर हो जाना चाहिये था, लेकिन उस वक्त यह नहीं हो सका। यह खेद की बात जरूर है। लेकिन यह स्वाभाविक है। आज यह स्थिति है कि चारों तरफ हम अपने काम कर रहे हैं। मुमकिन है कि फ्लड के सिलसिले में ज्यादा दौरा करना पड़ा हो या और बहुत से काम हो रहे हैं जिनमें कि सरकारी कर्मचारियों को घूमना पड़ा हो। मैं समझता हूं कि इस पर कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने और दूसरी कमेटियों ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर विचार कर लिया है और इसको एग्जामिन किया है। मैं समझता हूं कि सदन इसको बिना किसी प्रकार की आपत्ति के स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,०६,४४१ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—राज्य व्यापार की योजनायें

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल, गवर्नर की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—राज्य व्यापार की योजनायें, के अन्तर्गत २,१८,२५,९९७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो इसकी वजह है वह जो इसके साथ नोट दिया गया है उसमें लिख दी गई है। यह १९५१–५२ का रुपया था जो हमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को देना था। जब वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा था तब यह मांग आयी और हमको यह रुपया अदा करना पड़ा। इसी वजह से बजट में नहीं शामिल हो सका और अब एक्सेस ग्रान्ट की शकल में आपके सामने पेश है।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, जो मांग माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश की है मैं उसका विरोध करता हूं। यह मांग एक बड़ी रहस्यपूर्ण मांग है। लेकिन जैसी कि आपने अभी व्यवस्था दी थी कि जब बढ़तियों का विनियमन विधेयक प्रस्तुत हो तब विचार किया जाय, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुये सदन के सम्मुख इसका रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः न्याय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि यह मांग बढ़ोत्तरी की मांग नहीं है बल्कि यह मांग हमारे कार्यालय के अधिकारियों की अयोग्यता की सूचक है जिसके कारण प्रदेश पर खाद्य संकट आ पड़ा है। मैं कुछ मिनट बाद इस सदन के सम्मुख बजट तथा दूसरे कागजात से यह सिद्ध करूंगा कि यदि १९५४–५५ में हमारे अधिकारियों ने जन जीवन के साथ खिलवाड़ न की होती तो प्रदेश को यह दिन न देखना पड़ता। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का विरोध करता हूं और अपने विचार विनियमन विधेयक के समय प्रस्तुत करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई खास बात नहीं कहनी है। १९५१-५२ में जो सामान केन्द्रीय सरकार से मिला था उसकी कीमत अदा करनी थी। उसको हमने अदा किया है। जिस वक्त मांग आयी उस वक्त बजट में शामिल नहीं हो सकती थी। इसमें किसी की गलती का सवाल नहीं है। सीधा सा सवाल है। मेरा खयाल है माननीय सदस्य शायद समझे नहीं कि किस वजह से यह हुआ। इस में किसी की अयोग्यता का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत २,१८,२५,९९७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि यह आदरणीय सदन उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ [The U. P. Appropriation (Regularisation of Excess 1954-55) Bill, 1958] पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ [The U. P. Appropriation (Regularisation of Excess 1954-55) Bill, 1958] पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब विधेयक को वितरित कर देना चाहिये।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं।)

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, १९५४-५५ का जो बजट था उसमें अनुमानित व्यय से अधिक २,९४,७८,२८९ रुपया विभिन्न एक्सेस ग्रान्ट्स में व्यय हुआ था। जिस समय सप्लीमेंटरी बजट बनाया गया था उस समय इस खर्च का अन्दाज नहीं था, लेकिन आवश्यक कार्यों के लिये यह खर्च करना पड़ा। यह खर्च पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के पास भी गया था और वहां इसमें कुछ देर हो गई जिसकी वजह से यह जल्द नहीं लाया जा सका। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस विधेयक पर विचार करे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध का कारण यह है कि जब मैंने बहुत बारीकी से इस बिल पर गौर किया तो मुझे पता चला कि कुछ कार्यालयों की लापरवाही से ही यह बढ़ोत्तरी हमारे सम्मुख आई हैं। उदाहरण के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आप के सम्मुख अनुदान संख्या १२ प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें जो सामान्य प्रशासन के कारण व्यय है उसमें अनुपूरक बजट में १७,५०० रुपये की मांग की गई थी और जो अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिये अतिरिक्त व्यय के कारण थी, लेकिन आज इस सदन के सामने अनुदान संख्या १२ में ११,४८८ रुपये की एक अतिरिक्त मांग रखी गई है।

इसी तरह से अनुदान संख्या २२ में पूरक बजट में केवल १०० रुपये की मांग रखी गई थी जब कि इस अतिरिक्त बजट में ५३,१२,१५० रुपये की मांग प्रस्तुत की गई है। अनुदान संख्या ३० में अतिरिक्त बजट में ८०० रुपये की मांग रखी गयी थी, लेकिन दुःख है कि अब सदन के सामने जो अतिरिक्त खर्च कर लिया गया है उसके विषय में २१,९३,८११ रुपये की मांग प्रस्तुत की गई है। इसी तरह से अनुदान संख्या ३२ में पूरक बजट के समय ३०० रुपये की मांग वित्तीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की थी, लेकिन इसमें अतिरिक्त व्यय १,०६,४४१ रुपये की मांग प्रस्तुत की गई है। अनुदान संख्या ३६ में एक रुपये की भी मांग अतिरिक्त बजट में नहीं थी, लेकिन यहां २८,४०२ रुपये की मांग रखी जा रही है। अनुदान संख्या ४९ में जहां वित्तीय पूरक बजट में एक पैसे की मांग भी नहीं थी वहां इस विधेयक द्वारा २,१८,२५,९९७ रुपये की मांग रख दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार टोटल हुआ २,९४,७८,२८९ रुपया। हमारा बजट जो कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ का था वह कुल ७७,१५,८४,४०० रुपये का था। पूरक बजट १,५९,५१,२०० रुपये का था, लेकिन अतिरिक्त बढ़ोत्तरियों का बजट जो आज ५ वर्ष के उपरान्त सदन के सामने आ रहा है वह २,९४,४६,२८९ रुपये का है, जो कि असल बजट का ४ फीसदी होता है। क्या वित्त मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या १२ में जैसा कि लिखा हुआ है कि "उत्तर प्रदेश के महालेखापाल द्वारा वर्ष १९५३–५४ से संबंधित कतिपय बिलों का समायोजन और एक पदाधिकारी के सम्बन्ध में, जो कि इस सरकार के यहां डेपुटेशन पर था, १९४७ से १९५४ तक की अवधि के बारे में यात्रिक भत्ते और छुट्टी वेतन के अंशदान का समायोजन १९५४–५५ के मार्च (अन्तिम) लेखों में वर्ष की समाप्ति के उपरान्त किये जाने के कारण वृद्धि हुई है"। हो सकता है कि टेलीफोन के बिल समय पर न आये हों, लेकिन क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक आफिसर आन डेपुटेशन आप के प्रदेश में १९४७ से १९५४ तक लगातार ७ वर्ष तक रहा और ७ वर्ष तक आप के अधिकारी और सरकार क्यों सोती रही कि उसके यात्रिक भत्ते और छुट्टी वेतन के अंशदान का समायोजन बजट में नहीं आ सका? मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई लापरवाही नहीं हो सकती। शायद हमारे अधिकारी इस बात का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सके होंगे कि इस प्रदेश में कोई अफसर आया भी है जिसका कि टी०ए० बिल और छुट्टियों का अंशदान देना है। बराबर अवहेलना करने पर जब कि शायद केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस सरकार द्वारा जिससे कि उसे आन डेपुटेशन यू०पी० में लिया गया था जब कि करारा तकाजा किया गया होगा, बहुत बड़ी मांग की गयी होगी तो आज ठीक ११ वर्ष के बाद हमारी सरकार और हमारे वित्तीय अधिकारी चेते हैं कि हैं! हमें तो डेपुटेशन वाले अधिकारी के बिल का पेमेंट करना है। इससे अधिक लापरवाही का प्रमाण इस प्रदेश के लिये क्या मिलेगा और इससे बड़ा काला कलंक और क्या हो सकता है?

मैंने अनुदान संख्या २२, २३ और ३२ पर अपने विचार प्रकट कर दिये थे, लेकिन अनुदान संख्या ४९ के अवसर पर मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुये यह कहा था कि मैं विनियोग विधेयक के अवसर पर इस बात का रहस्योद्घाटन करूंगा कि यह मांग अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारे सामने नहीं आयी जिसका परिणाम कि आज हमारा प्रदेश एक खाद्य संकट के रूप में देख रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के उस समय के वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की बजट स्पीच को, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, इस सदन के सम्मुख पढ़ना अपना कर्तव्य समझता हूं:—

"Due to increased food production Government started on a policy of gradual withdrawal of the rationing arrangements. This policy was, however, tampered wth the consideration that the people living in the deficit areas may not be put to any hardship on that account.

".....By the end of the year 1953 rationing was abolished in 62 towns but arrangements were made for the supply of foodgrains to the hill

[श्री जगन्नाथ लहरी]

districts and to the Eastern districts where production was not adequate to meet the demand and where adequate quantities of foodgrains were not available in the market. The total population for which arrangements were made in this way amounted to 70 lacs."

वित्त मंत्री महोदय ने इस प्रदेश की खाद्य समस्या के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९५४-५५ का बजट प्रस्तुत करते हुये कहा था कि आज फूड प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोत्तरी होने के कारण धीरे-धीरे राशनिंग प्रथा को समाप्त करना जरूरी हो गया है और जनता को विशेष असुविधा न हो इसलिये सरकार ने सन् १९५३ के अन्त में इस प्रदेश के ६२ नगरों से राशनिंग प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन सरकार ने यह भी प्रबन्ध किया कि कमी वाले इलाके जो पहाड़ी और पूर्वी अंचल के इलाके हैं वहां की जनता को खाद्यान्न मिलते रहें। और सरकार की राय में वह जनता जिसके लिये खाद्य समस्या एक जटिल समस्या थी उसकी संख्या करीब ७० लाख के थी। तो वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कम से कम ७० लाख जनता इस प्रदेश में ऐसी है जिसके लिये खाद्य सामग्री का प्रबन्ध करना आवश्यक है।

अब सन् १९५४-५५ में जो फूड ऐंड सिविल सप्लाइज का बजट इस सरकार ने पेश किया उसको जरा देखिये। सन् १९५३-५४ में इस प्रदेश में अन्न की सप्लाई के लिये सरकार ने ३४,३४,-४०,१५८ रुपये रखे थे, सन् १९५२-५३ में इसी कार्य के लिये १९,८८,९६,००० रुपये रखे थे, परन्तु रिवाइज्ड बजट में अन्न की पैदावार कुछ अधिक होने के कारण यह संख्या ८,३८,८२,७०० रुपये रह गयी थी, लेकिन सन् १९५४-५५ में जब कि वित्त मन्त्री महोदय ने साफ-साफ कहा कि ७० लाख जनता की खाद्य समस्या का उन्हें प्रबन्ध करना है तो केवल ३९,९७,७०० रुपये ही इस मद के लिये रखे गये जब कि इसमें का अधिकांश रुपया अधिकारियों के वेतन पर ही खर्च होना था, अन्न की खरीद के लिये एक पैसा भी बजट में नहीं है, क्योंकि ३९ लाख रुपया रेलवे स्लीपर, टिम्बर तथा अधिकारियों की तनख्वाह के लिये ही रखा गया है। जब कि उसके पहले सालों में २० करोड़ और साढ़े ३४ करोड़ रुपया अन्न की सप्लाई के लिये रखा गया तो यकायक ऐसा कौन-सा जादू हो गया कि एक रुपया भी बजट में सरकार ने अन्न के लिये नहीं रखा। जिसके कारण, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं सदन के सामने रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं, कि इस प्रदेश में खाद्य स्थिति क्यों बिगड़ी और समस्या जटिल क्यों हो गई? हमारे अधिकारियों ने प्रदेश से राशनिंग हटने के बाद पहाड़ी और पूर्वी प्रदेशों की ७० लाख जनता की अन्न सस्ता करने की मांग होते हुये एक रुपया तो दूर रहा एक पैसा भी अन्न के व्यापार में लगाना उचित नहीं समझा था। इसमें आगे लिखा हुआ है जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अनुदान संख्या ४९ की मांग का कारण लिखा है। उन शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार है कि "राज्य व्यापार की योजनाएं (२,१८,२५,९९७ रुपया) १९५१-५२ के दौरान में और उसके बाद के वर्षों में जो जौ, गेहूं और मिलो राज्य सरकार को सप्लाई किया गया था उसके सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के अन्त में भारत सरकार ने अप्रत्याशित रूप से भारी नामे धनराशियां प्रसूचित कीं जिनके फलस्वरूप २,१८,९५,९९७ रुपये का व्ययाधिक हुआ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आप ने इसमें लिखा है कि १९५१-५२ में २,१८,२५,९९७ रुपया था तो उसके बाद के वर्षों में गेहूं और मिलो राज्य सरकार को सप्लाई किया गया था तो १९५४-५५ के बजट में राज्य सरकार ने एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की तो फिर यह ऐक्सेज बजट कहां से बन गया इसको समझाने की कृपा करें। हो सकता है कि यह रुपया पिछले वर्ष का बकाया हो, लेकिन क्या सरकार को सीधे व्यापार का भी ज्ञान नहीं है? जब दुकानदार अपना व्यापार बन्द कर देता है, कारोबार समेट लेता है, जब तक कारोबार चलता रहता है तो व्यापार चक्र चलाने के लिये उसकी साख

के अनुसार दूसरे व्यापारी उसको माल उधार देते रहते हैं और उसके ऊपर रुपया बकाया रहने देते हैं, लेकिन जब व्यापार बन्द कर देता है तो उसकी साख बाजार से उठ जाती है और जो देनदारी उसके ऊपर होती है उसकी वसूलयाबी की फौरन मांग की जाती है।

जब १९५४–५५ में प्रादेशिक सरकार ने अपने राज्य व्यापार की योजना अन्न के सम्बन्ध में बन्द कर दी तो क्या सरकार समझती है कि जो उसके ऊपर देनदारी थी वह वसूल नहीं की जायगी ? श्रीमन्, व्यापार बंद करने के बाद जब राज्य सरकार ने एक पैसा भी नहीं रखा तो उस समय जितना बकाया था उसकी व्यवस्था बजट में करनी चाहिये थी और जो ऋण था उसकी व्यवस्था करते कि इतना रुपया देना है। मैं पूछना चाहता हूं कि २,१८,२५,९९७ रुपये जो आज सदन को पास करने पड़े हैं वह किसी गड़बड़ घुटाले का नतीजा तो नहीं है। जब अन्न का व्यापार बंद हो गया तो क्या मुनाफा तथा घाटा हुआ, इसका सदन को कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूं कि व्यापार बन्द हो जाने के बाद छोटे से छोटा व्यापारी भी इस बात का अंदाजा लगा लेता है और चिट्ठा बनाकर पता चला लेता है कि कितना लाभ तथा हानि हुई ? लेकिन आप का व्यापार बन्द हो गया और अभी तक आपको अंदाजा नहीं लगा कि कितना लाभ या हानि हुई और २,१८,२५,९९७ रुपये की मांग है। यह किसी गड़बड़ घुटाले का नतीजा तो नहीं है या सचमुच में आपको हानि हुई या व्यापार क्यों बन्द करना पड़ा ?

वित्त मंत्री महोदय से मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जब उनके भाषण में ७० लाख जनता के डेफिसिट एरिया का जिक्र था तो राज्य व्यापार योजनाओं को बंद करने की क्या जरूरत थी ? अगर शुरू साल में अंदाजा नहीं लग सकता था तो छः महीने बाद जो अनुपूरक बजट १९५४–५५ का पेश किया गया तो अधिकारियों को उस समय तक चिट्ठा बना देना चाहिये था, उस वक्त आपको यह मांग आ सकती थी। उस समय आपके अधिकारियों ने इस सदन के सम्मुख अनुदान ४९ में एक पैसे की भी मांग नहीं की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लेखाजोखा में उन्हें किसी अतिरिक्त रुपये की मांग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वाह रे अधिकारियों, बजट के पास करने वालो, आपने एक ऐसा गोरखधंधा .....

श्री अध्यक्ष––आप उनको ऐड्रेस मत कीजिये, अफसरों को, मुझे कीजिए।

श्री जगन्नाथ लहरी––अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उन अधिकारियों की बुद्धि को दाद देता हूं कि जिन्होंने कितनी सफाई के साथ २,१८,२५,९९७ रुपये की रकम को जनता के प्रतिनिधियों के सामने इस सदन में विचारार्थ पेश करने से बिलकुल रोक दिया। बजट में सिर्फ स्लीपरों और टिम्बर को खरीदने के लिए ३९ लाख रुपये की मांग है। अन्न के व्यापार के लिये एक पैसे की भी मांग १९५४–५५ के बजट में नहीं है। यदि कोई सदस्य देखना चाहें तो लाइब्रेरी तक जाने की जरूरत नहीं है। बजट मेरी मेज पर प्रस्तुत है। उसमें देखने की कृपा करें। अनुपूरक बजट में भी एक पैसा भी अन्न के व्यापार के लिए आपने नहीं रखा, लेकिन यह दो करोड़ से भी अधिक की रकम इस सदन के सामने ५ वर्ष के उपरान्त स्वीकृति के लिए आयी। मुझे तो संदेह है कि हो सकता है कि इस विभाग में काफी गड़बड़ घुटाला हो। उसको छिपाने के लिये अधिकारी कुछ वर्षों तक मौन रहे हों और उन्होंने वित्तीय वर्ष में इसका लेखा जोखा करके न दिखाया हो और जब कागज की खानापूरी कर ली गयी हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा जब मांग आयी हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इतना रुपया बाकी पड़ा है १९५४–५५ से लेकर, तब अधिकारियों को चेत हुआ हो।

यह मैंने सदन में प्रस्तुत कर दिया कि साढ़े छः करोड़ जनता में ७० लाख जनता को वित्त मंत्री जी डेफिसिट एरिया में रहता हुआ मानते हैं। उस क्षेत्र के लिए जिसको उन्होंने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा है कि उनके लिये अन्न मुहय्या करने का प्रबन्ध किया जायगा, एक पैसे का भी अन्न न खरीदना इस बात की सूचना देता है कि राज्य सरकार ने अपने को अन्न के सम्बन्ध में इतना आत्म निर्भर समझ लिया था कि वित्त मंत्री चाहे कुछ भी कहें, बजट के भाषण में सदस्यों के सामने कुछ भी कह जायं, लेकिन राज्य सरकार एक पैसे का भी अन्न खरीदना

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उचित नहीं समझती थी। १९५४-५५ से जो अवहेलना शुरू हुई वह कुछ वर्षों तक आगे भी दोहरायी गयी, जिसका नतीजा १९५८ में सदन के सामने आ गया। १९५४-५५ का वह वर्ष था जब से पहाड़ी और पूर्वी अंचलों में बराबर अन्न की कमी की मांग की जा रही है। बराबर इस सदन में हमने कामरोको प्रस्ताव दिये, खाद्य समस्या के सम्बन्ध में बहसें सुनीं, जिनमें बताया गया कि ७, ८ साल से पूर्वी अं ल में और पहाड़ी प्रदेश में अन्नाभाव है, लेकिन अन्नाभाव से पीड़ित इलाका होते हुए भी १९५४-५५ से इस सरकार ने राज्य व्यापार की योजना के अन्तर्गत अन्न के व्यापार को बिलकुल तरजीह नहीं दी बावजूद इसके कि वह स्वयं समझते थे कि बहुत सी जनता अन्नाभाव से पीड़ित है जिसके लिये उन्हें प्रबन्ध करना है। वही एक छोटी सी भूल या अधिकारियों की लापरवाही आज उत्तर प्रदेश की तबाही का कारण बन गयी।

आज उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से खाद्य समस्या का एक भीषण प्रश्न उठ रहा है। वह गलती १९५४-५५ में ही नहीं, उसके आगे भी कई वर्षों तक दोहरायी गयी। आज उसका नतीजा यह है कि एक विषम राजनीतिक वातावरण उपस्थित हो गया है और यहां की सभी पार्टियां आज इस अन्न की भीषण परिस्थिति से परेशान हैं। मैं भी खाद्य समस्या के सम्बन्ध में, विरोधी सदस्य होते हुये भी, विरोधी पार्टी के भाइयों से विरोध रखता हूं। मैं खाद्य समस्या को एक राष्ट्रीय संकट मानता हूं। मैंने बार-बार कहा है और आज भी कहता हूं कि यह समस्या हमको युद्ध स्तर पर सुलझानी चाहिये। युद्ध के दौरान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना मतभेद भुला कर देश की रक्षा में एक ही कर उस संकट का मुकाबला करती हैं जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये सभी लोग अपने राजनीतिक मतभेद को भुलाकर देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों को निछावर करते हैं और अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। उसी तरह से आज हमारे सामने यह खाद्य समस्या का प्रश्न है। जनजीवन के ऊपर एक संकट आ गया है। इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों का यह कर्त्तव्य है कि इस राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये युद्ध के स्तर के तरीके पर प्रयत्न करें, लेकिन हमें दुःख है कि दोनों पार्टियों की तरफ से जिस तरह का प्रयत्न है उसके कारण हमारी यह खाई दिन ब दिन और चौड़ी होती चली जा रही है।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने राजनीतिक सहयोग की अपील की और विरोधी पार्टियों से राजनीतिक सहयोग का नारा जो हमारे मुख्य मंत्री ने लगाया उसकी परिभाषा बतलाने के लिये उनसे बारबार मांग की गयी, लेकिन आज तक उन्होंने इस सदन के सम्मुख या किसी समाचार-पत्र में मुख्य मंत्री महोदय ने उस राजनीतिक सहयोग की परिभाषा का किसी के सामने खुलासा नहीं किया कि उस राजनीतिक सहयोग का मतलब क्या है और किस प्रकार का वह राजनीतिक सहयोग चाहते हैं। आज यही कारण हुआ कि राजनीतिक सहयोग का नारा लगाने के बाद भी विरोधी पार्टियों ने उनके राजनीतिक सहयोग के नाम पर एक सर्वदलीय कमेटी की मांग की थी। गत वर्ष माननीय गेंदा सिंह जी की भूख हड़ताल के समय सदन की, खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये, एक सर्वदलीय समिति का निर्माण भी किया गया, लेकिन वह सर्वदलीय कमेटी इसी विधान सभा की दीवारों के भीतर पैदा हुई और इसी विधान सभा की दीवारों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। इस दीवार के बाहर न तो उस कमेटी का दर्शन हुआ और न किसी प्रकार से बाहर की उस को हवा लग सकी। सर्वदलीय समिति का नारा आज भी बुलन्द है। इस राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये राष्ट्रनायक जवाहर लाल जी ने एक बार फिर देश के लिये मार्ग प्रदर्शन किया है और उन्होंने सर्वदलीय कमेटी का एक नारा बुलन्द करके राजनीतिक सहयोग की स्थापना की है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने एक आन्दोलन का सहारा लिया और इस आन्दोलन के कारण आज यह विरोधी बेन्चेज की सभी जगहें खाली पड़ी हुई हैं।

मैंने कई बार इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह मांग की कि क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय अब भी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग के लिये तैयार हैं? लेकिन उन्होंने बार-बार यही दोहराया कि हमारे राजनीतिक सहयोग का आफर बदस्तूर कायम

हैं, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब कि विरोधी पार्टियां अपना आन्दोलन बन्द कर दें। आज दोनों अपनी-अपनी जगह पर डटे हुये हैं। विरोधी पार्टीज के सामने जब तक आप राजनीतिक सहयोग की परिभाषा नहीं रक्खेंगे तब तक वह आन्दोलन को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राजनीतिक सहयोग की वार्ता करने के लिये तैयार नहीं हैं, जब तक कि राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये वह विरोधी पार्टियां अपना आन्दोलन वापस न लें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ किया जाय, जैसा कि मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न को इस सदन के सामने रखा था, कल हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इन राजनीतिक पार्टियों के विरोध में एक कड़ी और जोड़ दी। माननीय उपाध्यक्ष के प्रति उसी प्रकार से राजनीतिक विरोध का प्रश्न उठाया। इससे वह खाई पटेगी नहीं, बल्कि और चौड़ी होती जावेगी। मैं आज सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हमारा और आपका इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर यह कर्त्तव्य है कि इस आन्दोलन के कारण इस प्रदेश का वातावरण दूषित होने दें ? आज हम अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर यहां आये हैं। आज यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर अपने क्षेत्रों में वह मार्ग प्रदर्शित करें, जिससे इस राष्ट्रीय संकट का हल निकल सके।

मैं आगरे का रहने वाला हूं। मेरा क्षेत्र फिरोजाबाद है। अभी ७ तारीख को राजनीतिक पार्टियों ने आगरे में एक हड़ताल का नारा बुलन्द किया। आगरे में वह मुकम्मिल हड़ताल हुई कि जनता को मरीजों के लिये दूध नहीं मिला, खाने के लिये पान नहीं मिले और बनाने के लिये सब्जी नहीं मिल सकी। मैं यह दूध, पान और सब्जी की बात इसलिये कह रहा हूं कि अभी तक कभी हड़ताल में भी इनकी कमी नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने इस राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं की। मैंने अपने क्षेत्र की सभी राजनीतिक पार्टियों का आवाहन किया और कहा कि इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर हम अपने सारे मतभेदों को मिटा कर सहयोग के साथ काम करें और जनता को दुःख से बचाने का प्रयत्न करें। मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने ७ तारीख को कोई हड़ताल नहीं की। इसी ७ तारीख को आचार्य लक्ष्मीरमण जी भी आगरे से होते हुए फिरोजाबाद आये थे। आगरे के जिलाधीश ने स्वयं आचार्य जी को सूचना दी थी टेलीफोन द्वारा कि फिरोजाबाद की स्थिति काफी खराब है। आप ७ तारीख को वहां न जायं। मैं आचार्य जी के साहस की प्रशंसा करता हूं कि सूचना पाने पर उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद की स्थिति यदि खराब है तो मुझे वहां उसके मुकाबले के लिये अवश्य जाना चाहिये। फिरोजाबाद की जनता ने अपने माननीय मंत्री के विचार जानने लिये उनका हार्दिक स्वागत किया। बावजूद इसके कि आल इंडिया पार्टियों ने हड़ताल का आवाहन किया था, कोई भी हड़ताल नहीं हुई। निरंतर १२ घंटे तक उनका कार्यक्रम हुआ, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उनसे मिले और उनका भाषण भी हुआ। १२ तारीख को फिर हड़ताल का नारा बुलन्द किया गया। आगरे में पुनः उसी प्रकार की हड़ताल हुई जैसी कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं, ७ तारीख को हुई थी, लेकिन फिरोजाबाद के क्षेत्र की जनता ने खाद्य समस्या के राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उसने फिर हड़ताल नहीं की। तो आपके प्रदेश में फिरोजाबाद एक ऐसा नगर है और उसका मैं प्रतिनिधि हूं, कि जिसने अकेले राष्ट्रीय संकट के समय सरकार का साथ दिया और वह राष्ट्रीय संकट को सुलझाने के लिये सरकार के साथ है। फिरोजाबाद की जनता ने १२ तारीख को भी किसी प्रकार की हड़ताल नहीं की। उसके प्रतिनिधि के नाते मैंने अध्यक्ष महोदय, बारबार माननीय मंत्री महोदय से कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा इस राष्ट्रीय संकट का हल हो सके ? मैं आप के द्वारा इस सदन से कहना चाहता हूं कि हम और हमारे अन्य साथी, जो यहां उपस्थित हैं, अपनी सेवायें अर्पित करने को तैयार हैं और मैं अपने साथी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आइये, हम और आप पार्टी पालिटिक्स को ध्यान में न रखते हुए इस राष्ट्रीय संकट को हल करने के लिये

[श्री जगन्नाथ लहरी]

निकलें और माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे नेताओं से इस बात का आग्रह करें कि इस राष्ट्रीय संकट के समय आपस में आने दिखाने की जरूरत नहीं, छोटे और बड़े की भावना को दिखाने की जरूरत नहीं, ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक भाई की तरह हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करें .....

श्री अध्यक्ष—आप अभी और बोलेंगे ?

श्री जगन्नाथ लहरी—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है । आप बाद में बोलियेगा ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा की बठक की सूचना

श्री अधिष्ठाता—यह एक एनाउन्समेंट करना है कि कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियशन, उत्तर प्रदेश शाखा की साधारण बैठक आज ५-१५ बजे सायंकाल को नये बड़े कमेटी रूम में होगी ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८—(क्रमागत)

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन से यह अपील कर रहा था कि आज जब इस खाद्य समस्या को लेकर हमारे प्रदेश में गत्यावरोध का वातावरण उत्पन्न हो गया है, विरोधी पार्टियों और कांग्रेस पार्टी में खिचाव हो गया है और नेता लोगों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है । इस समय हम सदस्यों का कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें और नेता लोगों पर दबाव डालें कि इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। एक पुरानी कहावत मशहूर है कि—'जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठा हुआ बंसी बजा रहा था' । इसी प्रकार यह है कि आज जब उत्तर प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता भूख से तड़प-तड़प कर मर रही है तब हमारे प्रदेश के राजनीतिक नेता अपना-अपनी ढपली और अपना-अपना राग गा रहे हैं । आज प्रदेश के नेता, चाहे कांग्रेस के हों या विरोधी पार्टियों के हों, नीरो का पार्ट अदा कर रहे हैं ! यदि हम वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के प्रतिनिधि और नेता आगे बढ़ें और नेताओं पर दबाव डालें कि प्रदेश की जनता को भूखा मरने से बचाने के लिये सभी नेता एक हों ।

इतिहास लिखने वाला कोने में बैठा-बैठा लिखता रहता है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता । जब १९५८ के इतिहास को आगे की पीढ़ियां पढ़ेंगी तो उस समय सभी पढ़ने वाले हम लोगों के ऊपर एक घृणा की दृष्टि से थूकने का प्रयास करेंगे कि जब प्रदेश के चारों कोनों में, यहां, इस समय पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन या मध्य का प्रश्न नहीं है, जनता खाद्य-संकट से कराह रही थी, उसके सामने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित था, उस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सभी विरोधी नेता खाद्य संकट के नाम पर अपनी अपनी लीडरी चमकाने के लिये लड़ने में लगे हुये थे, जनता में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये आन्दोलन का बहाना ले रहे थे या एक पोलिटिकल सहयोग के नाम पर, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, अपने-अपने हक प्रदर्शित कर रहे थे ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, यह अपील करना चाहता हूं कि आज हठ का समय नहीं है, इस प्रदेश की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उसका संचालन आपके कंधों पर है, इस प्रदेश को अगर कोई प्रतिष्ठा मिलती है, अगर कोई लाभ उसको होता है तो उसका श्रेय नेता सदन को ही मिलेगा. लेकिन यदि उसकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचती है, अगर इस प्रदेश का नाम काले अक्षरों में लिखा जाता है या उसको कोई बुरी भावना से याद करता है तो उस समय भी नेता सदन अछूते नहीं रह सकते। इसलिये आज नेता सदन से मेरी अपील है कि आज, जब कि और पार्टियों के नेता लोग जेलों में बंद हैं, वे अपनी ओर से कोई ऐसा कदम उठायें, जिससे राजनीतिक वातावरण को शांत करने में सहयोग मिल सके।

मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से भी अपील करता हूं कि आइये, हम और आप मिल कर नेता सदन और विरोधी पार्टियों के नेताओं से बातें करें और उनसे निवेदन करें कि आप नेता हैं, जब आपको जनता का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, उस समय आप इस जनता की समस्या को सुलझाने का हमारे साथ प्रयत्न करें। यह तो मैंने खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जो गत्यावरोध पैदा हो गया है, उस पर अपने विचार प्रकट किये।

अब मैं यह फिर दोहराता हूं कि १९५४-५५ के बजट के समय हमारे खाद्य मंत्री ने जिन विचारों को खाद्य संकट के सम्बन्ध में व्यक्त किया था, यदि उनको दृष्टि में रख कर, बजट बनाया गया होता तो बहुत संभव है कि इस संकट का सामना हमको न करना पड़ता। लेकिन १९५४-५५ के बजट को बनाते समय जो छोटी-सी भूल हो गयी उसका परिणाम आज हमें इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज प्रश्न यह नहीं है कि यह बजट की मांग स्वीकार हो या न हो। वह तो स्वीकार हमें करनी ही होगी, क्योंकि वह रुपया तो खर्च हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी अवसर प्राप्त हो गया है कि हम उन कारणों को ढूंढ सकें, जिनके कारण यह खाद्य संकट हमारे प्रदेश में पैदा हो गया है।

यदि १९५४-५५ के बजट को बनाते समय अन्न व्यापार की योजना बंद न कर दी गयी होती तो यह हालत न होती। यानी १९५१-५२ में ३४ करोड़ से अधिक और १९५२-५३ में १९ करोड़ का अन्न व्यापार हुआ है, यदि उसमें आपको कमी करना थी तो ४-६ करोड़ का तो रहने ही देते। अगर १० रुपया प्रति व्यक्ति के लिहाज से भी आप प्रबंध करते तो ७ करोड़ रुपये का अन्न व्यापार आपको करना पड़ता, लेकिन दुःख है कि एक रुपये के भी अन्न व्यापार की योजना नहीं बनायी गयी और उसका फल यह हुआ कि २,१८,००,००० रुपये की यह मांग खाद्य विभाग के अनुदान ४९ के द्वारा उपस्थित की गयी। यद्यपि इसका मैं घोर विरोध करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मांग चन्द मिनटों में ही पास हो जायगी, लेकिन सदन से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की वजह से उत्तर प्रदेश में आज चौ-मुखी भुखमरी पैदा हो गयी है, जिस उत्तर प्रदेश की जनता के कर से यह शासन चलता है, जिसकी भलाई के लिये, विकास और उन्नति के लिये हम प्रयत्नशील हैं, उस प्रदेश की जनता के बजट को बनाते समय १९५४-५५ के साल में जो भूल की गयी और जिसका भीषण परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, उसकी जांच कराने के पश्चात् उन अधिकारियों को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। उनके खिलाफ एक इन्क्वायरी कमेटी बनानी चाहिये जो यह जांच करे कि क्या परिस्थिति थी जब सरकार ने सन् १९५३-५४ में १९ करोड़ और ३४ करोड़ की अन्न व्यापार योजनायें चलाई थीं, लेकिन सन् १९५४-५५ में एकाएक यह व्यापार योजना क्यों ठप कर दी गयी? यदि कोई जांच कमीशन मुकर्रर किया गया तो मैं निःसन्देह कह सकता हूं कि हमें और भी गुप्त बातों का पता चल सकेगा। इसलिये आज समय की यह मांग है कि सन् १९५४-५५ के उनके अधिकारियों ने जिनकी एक भूल ने या जिनकी लापरवाही ने इस प्रदेश में एक भयंकर वातावरण उत्पन्न कर दिया है और सिर्फ जनता को ही भुखमरी के चंगुल में नहीं फंसाया है,

[श्री जगन्नाथ लहरी]

बल्कि इस प्रदेश का राजनीतिक वातावरण भी ऐसा दूषित हो गया है कि आज भाई भाई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हैं और वे दुश्मन की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—लहरी जी आपकी अपील खत्म हो गयी ।

श्री जगन्नाथ लहरी—तो मैं यह कह रहा हूं कि सन् १९५४-५५ के बजट के कारण ही इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हुआ, इसलिये आज समय की मांग है कि उन अधिकारियों को अछूता नहीं छोड़ा जाना चाहिये और उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिये इस सदन को तैयार हो जाना चाहिये और उसके लिये जांच कमीशन मुकर्रर करके इस बात की जांच करनी चाहिये कि उन अधिकारियों का कहां तक दोष है ? मुझे आशा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन ने यदि मेरे इस सुझाव को मान लिया तो हम इस प्रदेश की खाद्य समस्या को सुलझाने में बहुत कुछ सफल हो जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक का प्रदेश की भुखमरी को देखते हुए जो समय पर बजट में व्यवस्था न करने के कारण हम लोगों को भयंकर परिणाम भुगतना पड़ रहा है, उनको दृष्टि में रखते हुए, समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूं । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि मंत्रिमंडल अवश्य ही इसकी जांच कराने की कृपा करे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय सदस्य, लहरी जी जो इस बढ़ोत्तरी मांग के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज खाद्य समस्या है जिसको ले कर के विरोधी पार्टियां शामिल नहीं हो रही हैं । मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि खाद्य समस्या को खाद्य समस्या कह कर ही विरोधी पार्टियों ने एक जटिल समस्या बना दी है । यदि हम इस दृष्टि से देखते हैं कि वाकई खाद्य समस्या है या नहीं है, और उसे कसौटी पर कसते हैं तो हम पाते हैं कि खाद्य समस्या नहीं है । उसे हम महंगाई की समस्या कह सकते हैं और आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है । खाद्य समस्या के माने तो यह होते हैं कि जब हम पैसा लेकर गल्ला खरीदने के लिये बाजार के अन्दर जायं और अधिक से अधिक कीमत देने पर भी गल्ला न मिले, लेकिन ऐसी बात है नहीं, अगर हम बाजार के अन्दर जायं तो जितना चाहें और जितने रुपये का चाहें उतने का गल्ला बाजार से खरीद सकते हैं । बाजारों के अन्दर गल्ला बिक रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि गल्ला नहीं है, बल्कि गल्ला है, लेकिन वह इतना मंहगा बिक रहा है कि साधारण व्यक्तियों के लिये अपने जीवन का भरण-पोषण चलाना भी आज कठिन हो रहा है । अगर इस प्रकार की बातों को लेकर चलें और कहें तो वहां तक असलियत मानी जा सकती है, लेकिन बात को घुमा करके और भ्रमपूर्ण बातें कह कर जनता में इस तरह की भावना पैदा करना कि खाद्य समस्या है, लोग भूखों मर रहे हैं यह कहां तक उचित है, हमारी समझ में नहीं आता ।

यद्यपि महंगाई आज अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, सरकार इसके लिये सचेष्ट है और काफी प्रयत्न कर रही है, क्योंकि केंद्रीय सरकार से गल्ला प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया गया और वहां से गल्ला मिला भी था । बाजार में गल्ले की कीमतों को गिराने के लिये सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानें बड़े-बड़े शहरों में और इसके अलावा उन स्थानों में जहां पर बाढ़ आयी है या सूखा पड़ा है या और किसी वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, जहां पर गल्ला कम पैदा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में भी सरकार सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर के गल्ले का भाव गिराने का प्रयत्न कर रही है । सरकार प्रयत्नशील है कि गल्ले का भाव गिरे और जो साधारण जनता है उसको गल्ला मिल सके आसानी से कम कीमतों पर, इसके

लिये भी सरकार प्रयत्न कर रही है। तो इस तरह से जब मैं उसको सही तरीके से देखता हूं तो गल्ले की समस्या न पाकर के मंहगाई की समस्या पाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता यह जो प्रस्तुत विधेयक है इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने श्री लहरी जी के व्याख्यान को ध्यान से सुना। समझ में नहीं आया कि जो भी प्रस्ताव आये, जो भी विवाद हो उस पर वही स्पीच होती है जैसी कि आपने इस सप्लीमेंट्री बजट के सिलसिले में फरमायी। अभी अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो उस पर भी वही स्पीच। कोई भी मसला हो उस पर वही स्पीच। आज फिर वही स्पीच।

श्री अधिष्ठाता---मगर आप अपनी स्पीच वह न दीजियेगा जो दिया करते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---नहीं साहब, मुझे तो यह अर्ज करना है कि मैं तो अपनी बेइज्जती समझता हूं कि कुछ रोज पहले कही हुई बात को दुबारा कर कहूं। मैं समझता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं यहां बैठने के अगर मैं वही बात फिर कहूं। मुझे तो हमेशा सदन के सामने कोई नई बात कहनी चाहिये। नहीं तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है अनावश्यक बोलने से।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि महंगाई का बड़े जोरों से जिक्र किया गया, बड़ा प्रचार हुआ, बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, अखबारों में निकला और हाय-हाय मच गई चारों तरफ। आप जानते हैं अधिष्ठाता महोदय, अगर कोई बीमार हो, परेशान हो, तो डाक्टर लोग उसको नहीं बतलाते कि तुम बहुत बीमार हो, तुम्हारा असाध्य रोग है। डाक्टर लोग कहते हैं कि घबड़ाओ मत, अच्छे हो जाओगे हालांकि वह जानते हैं कि हालत अच्छी नहीं है। तो जब हालत अच्छी न हो तब भी ख्वाहमख्वाह के लिये कहकर उसे और परेशान नहीं करना चाहिये और जब हालत खराब न हो तब यह कहना, यह तो और भी उचित नहीं हो सकता।

हुजूर, यह महंगाई भी जो आयी है तो यह अपने लोगों के कदमों की बदौलत। आये दिन सरकारी कर्मचारियों में, लड़कों में, मजदूरों में प्रोपेगेंडा हुआ कि तनख्वाह कम है, मजदूरी कम है, बढ़नी चाहिये। जुलूस निकला, प्रोपेगंडा हुआ। कहीं कुछ हो, लीडरी करने के लिये चार पांच आदमी पहुंच जाते हैं, उनकी वहां स्पीच जरूर होगी, त्रिलोकी सिंह जी हैं, पालीवाल जी हैं, इन लोगों की स्पीच जरूर होगी। नतीजा क्या हो रहा है? इन प्रोपेगेंडा की वजह से अगर तनख्वाह बढ़ायी जाती है तो सरकार के पास पैसा कहां से आये? दो ही रास्ते उसके पास हैं। या तो वह पब्लिक से ले या नोट छापे। पब्लिक से टैक्स लेते हैं तो आप कहेंगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, नोट छाप के जब दिया जायगा तो मंहगाई तो आयेगी। सामान उतना ही है, नोट छाप के दे दिया, फिर मंहगाई तो आयेगी ही। तो यह मंहगाई लाने में आप साहबान का ही हाथ है और फिर महंगाई आने पर उसकी शिकायत भी करने लगते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह महंगाई महंगाई कहने से कुछ बिजनेसमैनों ने गल्ला रोक लिया कि बड़े जोरों की महंगाई है, मुमकिन है आगे चलकर गल्ला और महंगा बिकने लगे। इसलिये गल्ला रोक लिया। मैं आपसे सहमत होता अगर दरअसल परेशानी होती। मुझे कोई आंकड़े दे दें कि पार साल भादों के महीने में इतने आदमी मर गये थे और इस साल के भादों के महीने में इतनी गरीबी आ गई है, इतने आदमी मर गये, इस साल मरने वालों की संख्या इतनी है। आंकड़े पेश कर दें दिखा दें, कि उस साल की हालत यह थी और इस साल की हालत यह है, लेकिन सिर्फ ड्रामा और नाटक रचने से, महंगाई-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मंहगाई कहने से, जलूस और हड़ताल से मंहगाई का सबूत नहीं मिलता। यह बात सही है कि गरीबी है। और मैं क्या अर्ज करूं, अफसोस है कि पूरा अपोजीशन यहां मौजूद नहीं है वरना मैं चैलेंज करता कि जो इस नाचीज ने गरीबी का चित्र खींचा है, क्या पी० एस० पी०, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसंघ कोई भी हों, १९३६ में एक किताब लिखी थी "स्वराज्य का रास्ता" उसमें मैंने मंहगाई का चित्र खींचा है। आज तक किसी भी प्लेटफार्म से उन बातों को नहीं कहा गया। सब से पहले मैंने कहा था १९२१ में कि गोबर से गेहूं निकाल कर किसान खाता है। मैंने अर्ज किया एक तरफ से भर करके बैलगाड़ियां चली जाती हैं उनसे छन-छन कर जो शीरे की बूंदें गिरती हैं उसे किसानों के बच्चे चाटते हैं। यह कह करके मैंने वर्कर पैदा किये हैं। हुजूरवाला, आज भी कष्ट है। जितना हम आराम देना चाहते हैं किसान को उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि पहले से उनकी हालत अच्छी है। अभी माननीय मोहन लाल गौतम जी मेरे यहां गये थे वहां एक सभा हुई। तो पहले सभाओं में करीब-करीब आधे आदमी नंगे बदन आते थे। अब आपको सुनकर खुशी होगी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो नंगा हो . . . .

श्री अधिष्ठाता---अब आप बिल पर आ जाइये तो अच्छा हो।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, जो स्पीच और प्रोपेगेंडा यहां होता है जरा मुझे उसका जवाब देने दीजिये। यह भी मेरे दोस्त हैं, समझेंगे तो लेंगे। मैं तो गांव-गांव में घूमा हूं और किसानों का चित्र खींच कर वर्कर पैदा किये हैं। जो तमाशा देखने के लिये आते थे वह वर्कर बन कर जेल गये। जिस चैत के महीने को खुशहाल कहा जाता है उसमें ही यह परेशानी पैदा हो जाती थी। इधर बरसात के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बड़ा अच्छा लगता है तब उस मौसम में किसान का कलेजा फुंकता था। आसमान से पानी गिरता है, लेकिन किसान का कलेजा सूखता था। कर्ज पर कर्ज लदा रहता था। जाड़े के महीने में दिन भर काम किया, शाम को घर आया तो लड़के ने कहा बापू क्या लाये हो खाने को, किसान के बच्चे की तोतली बोली बड़ी मीठी होती है। लेकिन जब वह तुतला कर खाना मांगता था तो वह तोतली बोली मीठी नहीं लगती थी बल्कि गोली सी मालूम होती थी। वह अपने बच्चे को उठा लेता था और घर में सो जाता था। औरत के बदन पर कपड़े नहीं, पुआल बिछाकर नींद नहीं आती और अगर पानी बरस जाता था और अगर कहीं नींद आ जाती थी . . . .

श्री अधिष्ठाता---आप विषयांतर हो रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---लीजिये कह चुका। आपने आखिरी जुमले पर टोक दिया। तो जब नींद आती थी तो किसान कहता था कि हम ख्वाब देखते थे कि कर्जा देने वाला पकड़ कर मार रहा है तो नींद खुल जाती थी। "गुजरी है रात आधी सब लोग सो रहे हैं, पर हम अकेले बैठे किस्मत को रो रहे हैं"। इत्तफाक से कोई सिपाही पहुंचता था तो बेगार लेता था। वह सब से प्यारी चीज मौत मांगता था। इसी चीज को लेकर वर्कर पैदा किये कि लानत है ऐसी जिन्दगी पर। और एक जमाना आया कि किसान को राहत मिली। तो उस वक्त को देखें और आज के वक्त को देखें। मैंने अर्ज किया कि यह छपा हुआ है किताब में। अगर आप हुक्म दें तो मैं लाकर दिखला सकता हूं। उसमें और डिटेल में है। अब हालत और भी बदल गई, किसानों की हालत सुधर गई है और कहा जाता है---बात बड़ी मजेदार है, कहते हैं कि गांधी जी जब सत्याग्रह करते थे तब तो ठीक था और हम अगर दुकानें लेने को कहते हैं तो बुरी बात कैसे है, गांधी जी नमक का सत्याग्रह करते थे तो ठीक था। क्या खूब, गांधी जी तो विदेशी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करते थे जो तलवार के बल पर आई थी और जिस का ध्येय था कि हुकूमत करो और पैसा इकट्ठा करो और उसे अपने यहां भेजो, वह अपने आराम के लिये सब कुछ करते थे, लेकिन यह सरकार तो दूसरों

के आराम के लिये बनी है, जनता के बल पर उसकी सेवा के बल पर बनी है, यहां पर वह लोग बैठे हैं कि जिन्होंने सेवा का इम्तहान पास किया है, यह लोग पब्लिक के वोट से चुने गये हैं, हमने त्याग का, कुरबानी का, सेवा का इम्तहान पास किया है, बलिदान किया है। हम सन् १९२० में नहीं समझते थे कि हमें स्वराज्य मिलेगा १९२० क्या १९४२ में भी हम यह नहीं समझते थे कि स्वराज्य मिलेगा, विचार यह था कि शायद हमारे नाती पोते कोई स्वराज्य देखेंगे।

श्री अधिष्ठाता---शुक्ल जी इन बातों से बिल का कोई संबंध नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---उन्होंने फरमाया कि भुखमरी हो रही है, उसका जवाब देना है.....

श्री अधिष्ठाता---उसका जवाब आपने काफी दे दिया, अब तो बिल पर आ जायं।

श्री सीताराम शुक्ल---बताना सिर्फ इतना है कि अभी जो उन्होंने इरशाद फरमाया कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। उसके जवाब में मैं यह कह रहा था कि जो असली देशभक्त है, जो वोट से चुना गया है वह अगर ऐसा करता है तो उससे आपका नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा। जनता की भलाई पहले है, दुनिया की भलाई बाद में है। इसलिये जैसा उन्होंने कहा वह बात लागू नहीं होती। फर्क यह है कि एक गाली सगा साला देता है और एक दुश्मनी से साला कहता है, जो अपना आदमी कहता है उसमें प्रेम मालूम होता है, लेकिन जो दुश्मनी से कहता है तो बुरा मालूम होता है। विदेशी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह ठीक हो सकता है, लेकिन अपनी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह नहीं हुआ करता। हैलट के जमाने में सत्याग्रह हो सकता था, लेकिन आज बाबू सम्पूर्णानन्द जी की सरकार है, जिन्होंने जनता के लिये कुरबानी की है, त्याग किया है, तपस्या की है और इम्तहान पास कर लिया है। खाली लीडरी का शौक पूरा करने के लिये चीजें न करें। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वाकआउट के बाद भी वह बैठे हैं, वह लोग भी यहां होते तो कुछ बहस होती, कुछ तरमीम होती, आप अपने दोस्तों से कोशिश करते, उनको समझाते। कौन-सी बात हो गई कि अध्यक्ष आज्ञा दें और वह न मानी जाय, वह बाहर निकलवा दें तो किसका कसूर है, इससे हम खुश नहीं होते, हमें मजा नहीं आता। लिहाजा आप अपने साथियों को राजी करें ताकि तेजी से कार्यवाही हो, मुल्क आगे बढ़े, तरक्की हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने इस सदन से २,९४,७८,२८९ रुपये की मांग की है और यह वह खर्च है जो हो भी चुका है। इसमें केवल सदन से एक जाब्ते की स्वीकृति लेने की बात है, लेकिन हमारे मित्र लहरी जी ने बहुत-सी बातें इस संबंध में कहीं, उन्होंने कुछ ग्रांट्स को पढ़कर यह दिखाने की कोशिश की कि कुछ ग्रांट्स के अन्दर जब सप्लीमेंटरी पेश हुये थे उनमें सरकार ने कम धनराशि मांगी थी, मगर अब जो एक्सेस खर्चा दिखाया है वह उस धनराशि से कहीं ज्यादा है और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि विभागों के अन्दर इनएफिश्येंसी और लापरवाही है। जो ६ ग्रांट्स हमारे सामने हैं इनमें से कुछ के बारे में तो मैं समझता हूं कि अनएक्सपेक्टेड खर्चा था, इसके लिये कोई चारा नहीं था। एक या दो ग्रांट्स ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं उनसे इत्तफाक कर सकता हूं कि अगर विभाग ने जरा भी सावधानी बरती होती तो वह बच सकता था और कम से कम पहले से अन्दाजा तो किया ही जा सकता था। मिसाल के लिये आपकी जो ग्रांट नम्बर ३२ है, इसके अन्दर मैं यह महसूस करता हूं कि १,०६,००० का खर्चा ऐसा है भत्तों के ऊपर जिसका अन्दाज हो जाना चाहिये था और इसका अन्दाज न होना यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इनएफिश्येंसी को साबित करता है, लेकिन और जितनी ग्रांट्स हैं उनके लिये हमारे पास कोई चारा नहीं था।

[श्री नवल किशोर]

उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति की कि जो इसके अन्दर २,१८,२५,९९७ रुपये की एक मांग स्टेट ट्रेडिंग के अन्तर्गत की गयी, यद्यपि वह इस बात को जानते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जो इस सरकार को गेहूं और मिलो मुहइया किया था उसका एक दम पैसा इस गवर्नमेंट के एकाउन्ट में डेबिट कर दिया और वह देना पड़ा। उसका कोई अन्दाज नहीं था। इस संबंध में उन्होंने काफी टिप्पणी की हमारी नौकरशाही की। माननीय लहरी जी इस बात को जानते हैं कि मैं नौकरशाही का कोई वकील नहीं हूं और मुझे इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है कि नौकरशाही से जहां-तहां गलतियां हो सकती हैं और होती भी हैं। मगर इस मौके पर जो उन्होंने इतनी लम्बी बात कही, मैं यह नहीं समझ पाया। हो सकता है कि फूड के बांटने में कमी रही हो, सही बात है। हो सकता है कि और बातें हों, मगर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो २,१८,००,००० रुपये को एकदम से डेबिट कर दिया, इसमें नौकरशाही की गलती क्या थी ?

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी नौकरशाही के अन्दर बहुत कमियां हैं और मेरा आज भी मत है कि आज जो स्टेट का ढांचा सही मानों में हम बनाना चाहते हैं, एक वेलफेयर और कल्याणकारी राज्य का उसके लिये ब्युरोक्रैसी अपने आप को ऐडजस्ट नहीं कर पायी है, लेकिन इसको कहने का जो आपने मौका लिया यह कोई बहुत ज्यादा मौजूं नहीं था।

आपने कुछ खाद्यान्न की बात कही। चूंकि यहां वोट आफ नो कान्फिडेन्स के मौके पर और फूड के डिबेट पर दो दफा विवाद हो चुका, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, केवल एक बात कहना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय लहरी जी से कि यह बात सही है कि खाद्य स्थिति हमारे यहां गम्भीर हो गयी थी, मगर जिस दिन से फूड डिबेट हुई और वोट आफ नो कान्फिडेन्स पर विवाद हुआ, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि उसके बाद खाद्य स्थिति में कोई और ज्यादा खराबी पैदा हुई हो। स्थिति गम्भीर थी और है। गवर्नमेंट आफ इंडिया तथा प्रदेशीय सरकार ने जितने उसके साधन थे उनसे उसका मुकाबिला किया और अब इस बात की खुशी है कि यद्यपि अनाजों के भाव ज्यादा नहीं गिरे हैं, मगर एक टेंडेन्सी स्टेट के अन्दर पैदा हुई है जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि गल्लों की कीमतों में कुछ कमी आनी शुरू हो गयी है और मैं समझता हूं कि हमारी जो खरीफ की फसल आने वाली है उससे गल्ले का संकट हमारा खत्म हो जायगा।

उन्होंने कई बार माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था एक अपील के बारे में और उन्होंने आपको एक रेफरेंस दिया कि इस देश के प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार का बयान दिया था कि वह यह चाहते हैं कि राज्य सरकारें तमाम विरोधी दलों के साथ मिलकर बैठें, और जो खाद्य संकट है उसको हल करने की कोशिश करें। सही बात है। आप जानते हैं कि आपकी बात का जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया और उनका एक स्टैंड है और मैं उस में एक बात अपनी जगह सही समझता हूं। वह यह कि जबकि आन्दोलनों की भरमार डेमोक्लीज क. तलवार की तरह आपके सर पर टंगी हो और उस वक्त यह कहा जाय कि समझौता कीजिये, यह एक तमाशे की सी बात मालूम पड़ती है। हर पार्टी के नेता, चाहे श्री गोपालन साहब हों या आचार्य कृपलानी हों और चाहे पी० एस० पी० की नेशनल एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन श्री गंगा शरण सिंह जी—उन्होंने यही कहा कि बावजूद इसके कि अपोजीशन क्या कहता है, गवर्नमेंट को इनीशिएटिव लेना चाहिये। तो जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि "औरन को उपदेश घनेरे" वह बात मेरी समझ में आती नहीं है। अगर श्री गंगा शरण जी नेशनल एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन होते हुए एक स्टेट के यूनिट को यह डायरेक्टिव नहीं दे सकते हैं कि देश और प्रदेश के हित में आपका आन्दोलन गलत है, इसको सस्पेंड करो, तो उनको केवल गवर्नमेंट से यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह अपने ओन इनिशिएटिव पर ऐक्शन लें। एकतरफा मोहब्बत चलती नहीं है, कहीं चल जाय, लेकिन आम-तौर से चलती नहीं है। एक तरफ तो इतना दूषित वातावरण हो और दूसरी ओर केवल गवर्नमेंट से बारबार इस बात को दोहराना कि आप ही सब कुछ कीजिये कहां तक ठीक है।

मैं इस बात की जरूर दाद देता हूं कि हमारे लहरी जी ने जो एक ट्रस्ट की बात कही उसका श्रेय उनको है । अगर वे किसी पार्टी के होते तो मैं उस बात को पसन्द नहीं करता, लेकिन चूंकि वे स्वतंत्र आये थे लिहाजा उन्होंने सही माने में अपने आप को स्वतंत्र रखा और जो झोंका और तूफान इस हाउस के अन्दर आया उसमें उन्होंने अपने आप को सही रखा । मेरा यह भी कहना है कि आज वे बेटर पोजीशन में हैं, क्योंकि अपोजीशन में होते हुए भी अपने गुड आफिसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उनके नेता माननीय पालीवाल जी या और लोग हैं वे इस बात की कोशिश करें कि जो भिन्न-भिन्न पार्टियों ने आन्दोलन कर रखे हैं तो अब गल्ले की कीमतें गिर रही हैं और आज इस बात की मांग है कि देश और प्रदेश का वातावरण स्वच्छ बनाइये ।

जैसा उन्होंने कहा, यह सही बात है कि बिना विरोधी दल के सहयोग के प्रजातंत्र चल नहीं सकता । और मुझे तो यह अन्देशा हो जाता है कि जो हालत पिछले ६ साल से विरोधी दलों की देखने में आ रही है अगर उनका यही तरीका रहा तो मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि इस देश के और प्रदेश के अन्दर प्रजातन्त्र खतरे में है और उसका भविष्य अन्धकारमय है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है । कोई सवाल जिद्द का नहीं है । मगर कुछ कामन फार्मेलिटीज होती हैं । कुछ मिनिमम शर्तें होती हैं जिनको मानकर हम बैठ तो सकें । मैं माननीय मित्र को एक छोटे से मेम्बर की हैसियत से इस बात की दावत देता हूं कि वे इस बात की कोशिश करें कि तमाम लीडरान एक जगह इकट्ठा हो कर बैठें । लेकिन अगर केवल इसीलिये कहा गया हो कि हमारा ही दोष है तो वह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । हां, यह हो सकता है कि जो कुछ भी अनाज के बारे में किया गया उसके अन्दर कुछ त्रुटि हो सकती है । इतने बड़े प्रदेश के अन्दर कोई दावा इस बात का नहीं है कि सब दुकानें सही लोगों को दी गयी हैं या सब डिस्ट्रिब्यूशन सही ही हुआ होगा । इस बात का भी दावा नहीं है कि हमारे अफसरान शुरू से बड़े सचेत थे । गलती हो सकती है और हुई भी होंगी, लेकिन जहां तक इन पांच ग्रान्ट्स का सम्बन्ध है, इनके बारे में काफी जांच पड़ताल हो गयी है और मैं समझता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को एक दायरे के अन्दर, कांस्टीट्यूशनल तरीके से जो कुछ टिप्पणी वह कर सकती थी वह हो चुकी है और हाउस के सामने आ चुकी है । विरोधी दल के साथी होने के नाते वे इसके ऊपर फिर दोबारा सोचें और जब वोट का सवाल आये तो वे हमारे साथ इसके पास होने में वोट दें ।

जहां तक उनकी अपील की स्प्रिट और सिद्धांत का सवाल है, मैं उससे सहमत हूं और आशा करता हूं कि जो उनके तमाम और साथी जो गलत रास्ते पर चले गये हैं वे सही रास्ते पर आ जायेंगे जिससे एक अच्छा वातावरण इस प्रदेश में पैदा हो ताकि हम इस खाद्य समस्या को हल कर सकें ।

*श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ हमारे सम्मुख है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । जब १९५४–५५ के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगें सामने आईं तो ऐसी प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से कुम्भकरण गहरी नींद में सोता था, उसके बाद जागता हो । यह ही नहीं, कुछ मांगों के लिये ऐसा भी है कि वह १९५१–५२ में खर्च हुई हैं । जैसा कि अनुदान संख्या ४९ में है । यह खर्चा १९५१–५२ के दौरान में और उसके बाद के वर्षों में जो गेहूं और मिलो राज्य सरकार को सप्लाई किया गया था उसके सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के अन्त में भारत सरकार ने अप्रत्याशित रूप से भारी नामे धनराशियां प्रसूचित कीं जिनके फलस्वरूप २,१८,२५,९९७ रुपये का व्ययाधिक्य हुआ ।

दूसरा अनुदान संख्या १२ है । यह १९४७ से १९५४ तक का खर्चा है यानी सात साल का है और यह सब मांगें हमारे सामने आईं, बजट आया अतिरिक्त अनुदान की मांगें आईं, परन्तु इन पर जो खर्चा हुआ है वह हमारे सामने नहीं आया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री परमेश्वरदीन वर्मा]

तीसरा अनुदान संख्या ३२ है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के यान्त्रिक भत्तों आदि के सम्बन्ध में है। यह एक आकस्मिक घटना बताई जाती है जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी। खैर न की जा सकती थी, लेकिन कैसे परिस्थिति आ गई कि जिसके कारण इतना खर्च हुआ। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो सान्य रूप में ठीक नहीं जंचती। एक ४९ के बारे में यह है कि दो करोड़ की मांग जो १९५४-५५ की है वह १९५८-५९ में अब हमारे सामने पेश की गई है और इन मांगों को पूरा किया जा चुका है और पेमेंट भी हो चुका है तो इस प्रकार की मांग सदन में रखने से लाभ ही क्या है? जनतंत्र में ऐसी व्यवस्था हमारी समझ में उचित दिखाई नहीं देती है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

राज्य व्यापार की योजनाएं १९५१-५२ में बतलाई गईं जिसका खर्चा १९५४-५५ में लगाया और आंकड़े लिये गये और प्रस्तुत अब होते हैं तो यह सब क्या है? यह एक प्रकार की खराबी समझ में आती है। अब मैं आपके द्वारा माननीय कुरील जी और शुक्ल जी की बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इत्तफाक की बात है कि इस समय शुक्ल जी नहीं हैं, यदि होते तो शायद उनको पता चल जाता कि साहित्य किसे कहते हैं, उन्होंने अपने साहित्य की चर्चा की। साहित्य में वह सामंजस्य होता है जिसमें समाज का प्रतिबिम्ब दिखायी देता है। उन्होंने १९३५ का जिक्र किया कि मैंने एक किताब लिखी है। आज भी किताब लिखें। वह परिस्थिति को देखें गरीबों की जो आत्माएं हैं जो आहें निकल रही हैं उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता और अपनी-अपनी बात केवल नहीं कहना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन में माननीय कुरील जी और शुक्ल जी को यह बता देना चाहता हूं कि जिस खाद्य परिस्थिति को, गम्भीर खाद्य परिस्थिति को इस सदन द्वारा स्वीकार किया गया है, नेता सदन ने स्वीकार किया है उसको माननीय कुरील जी ने कह दिया कि महंगायी है, खाद्य स्थिति नहीं है। महंगायी किसे कहते हैं? इसकी डेफिनीशन उन्हें मालूम है? वह जरा इस बात को सोचें कि महंगायी किस चीज का नाम है? किसी वस्तु की कमी का नाम महंगायी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो केवल उसके सामने वह चीज रख देने से उसके पेट में नहीं पहुंच जायगी। उनका यह कथन ठीक नहीं है। उनकी बुद्धि में यह चीज समझ में आ सकती है कि यह ठीक है लेकिन हम उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। शुक्ल जी ने बड़ा नाटकीय ढंग अपनाया। वास्तव में उनका कहने का ढंग सराहनीय है, परन्तु किसी वस्तुस्थिति को देख कर ही किसी बात को कहना चाहिए। एक तो पहले स्वीकार की हुई बात को मानने से इनकार किया कि यह एक प्रोपेगंडा मात्र है। क्या प्रोपेगंडा मात्र है यह उन्होंने बताने की चेष्टा नहीं की? जब कि आप कहते हैं कि महंगायी मंहगायी करके प्रोपेगंडा करके लोगों में एक उत्तेजना पैदा की, तो मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं यह मेरा दुर्भाग्य हो सकता है कि वह यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महंगायी महंगायी कह कर विरोधी पार्टियों ने गरीबों और लड़कों में उत्तेजना पैदा कर दी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी शक्ति कम है? उन्होंने सस्ती सस्ती का नारा क्यों नहीं लगाया? शुक्ल जी अब आ गये हैं। उन्होंने थोड़ी-सी साहित्य की चर्चा की थी लेकिन शुक्ल जी जरा ध्यान रखें कि साहित्य में वह रूप होता है जिसमें समाज का अभिन्न रूप दिखायी देता है तो शायद वह आज की परिस्थिति का मूल्यांकन कर सकते। उन्होंने १९३५ में जब अंग्रेज थे उस समय के आंकड़े तो अपनी किताब में दिये होंगे और उस समय की परिस्थिति को देखा होगा जब कि कांग्रेस आन्दोलन करती थी, लेकिन आज भी परिस्थिति खराब है जिसको यहां पर स्वीकार किया जा चुका है उसको हंसी मजाक में टाल दिया जाता है। और कहते हैं कि १९३५ की किताब पढ़िए। आज के लेखकों की किताब पढ़िए जिन्होंने कल्पना मात्र ही अपनी पुस्तकों में नहीं रखी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि यह सब विरोधी भावनाओं को त्याग करके यदि सामंजस्य का रूप, समन्वय का रूप लिया जाय तो

शायद जो विरोधी आत्माएं हैं वह आपसे मिल कर एक चित्त होकर किसी भी स्थिति को सुधारने की ओर कदम उठा सकती हैं। यह तो आप की महानता होनी चाहिए, यह आपकी कुशलता होनी चाहिये। हमारा साहित्य इस बात को बतलाता है कि समय की परिस्थिति का मूल्यांकन करके और समय की सच्ची परिस्थिति को सामने रख कर उसमें सामञ्जस्य उपस्थित करना चाहिय, लेकिन आज क्या है? आपकी सरकार में यह महानता होनी चाहिए कि वह समय की गम्भीरता को समझ कर और विरोधी दल की भावनाओं को केवल विरोध की भावना न समझ कर वास्तविकता का सामना करे। उनको समझ कर जैसा कि लहरी जी ने कहा कि उसकी रूप रेखा निकालनी चाहिये जिससे इस प्रदेश में जो व्यापक आन्दोलन चल रहा है उसमें कुछ सुधार हो सके। इन शब्दों के साथ, जो प्रस्तुत विधेयक सदन में उपस्थित है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव---अधिष्ठाता महोदय, माननीय लहरी जी के भाषण को सुनकर मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि इन अनुदानों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ गड़बड़ घुटाले का भय है। अगर वह, जो इन अनुदानों के सम्बन्ध में पूरा लिखा गया है, उसको पूरा पढ़ लेते तो शायद उनका भय दूर हो जाता।

जहां तक इसमें २ ग्रान्टों का सम्बन्ध है वह तो केवल टैक्नीकल और एडजस्टमेंट करने के लिये हैं। ग्रान्ट नम्बर १२ के सम्बन्ध में यह सम्भव नहीं था कि यह धनराशि सप्लीमेंटरी बजट में शामिल की जा सकती, क्योंकि एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से वह हिसाब वित्तीय वर्ष के अन्त में आया था। उस सन् का वह रुपया देने के लिये जब हिसाब आया तो उसके लिये आवश्यक था कि वह रुपया दे दिया जाय। पहले केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव था और उसके एडजस्टमेन्ट के सम्बन्ध में जब वह मांग आई कि वह रुपया दे दिया जाय तो वह रुपया दिया गया। उस समय सप्लीमेंटरी बजट पास हो चुका था।

मैंने यह निवेदन कर दिया कि बजट के अतिरिक्त जो रुपया दिया जाता है तो उसका आडिट होकर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जब वह हिसाब चला जाता है तब उसके बाद अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग सदन में आया करती है। लहरी साहब इस बात को जानते हैं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन विरोधी पार्टी के नेता हुआ करते हैं।

जहां तक ग्रान्ट ३० का सम्बन्ध है वह तो बिलकुल टैक्नीकल है। वह इस तरह का अनुदान नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भय होना चाहये। ग्रान्ट नम्बर २२ में कोई भी फर्क किसी तरह से नहीं पड़ता है। केन्द्रीय सरकार ने यह चाहा कि जो कुछ ट्रैक्टर के हिसाब का रुपया है वह उनको एकदम दे दिया जाय। चाहे उसको कई वर्षों में दिया जाय या एकदम से दिया जाय इसमें कोई अन्तर नहीं आता है। उस समय उसका अन्दाजा नहीं था। तब यह देना पड़ा। उस समय यह रुपया एकदम देने में गड़बड़ की कोई बात समझ में नहीं आती।

जहां तक ग्रान्ट नम्बर ३६ का सम्बन्ध है यह भी एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से बाद में आई। हमारे लहरी साहब ने ऐसा संकेत किया है कि इसके सम्बन्ध में बजट में कोई रुपया नहीं रखा गया था। उनका यह भ्रम है। तब सप्लीमेंटरी बजट में यह रुपया रखा गया था। जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से हिसाब आया तो वह ज्यादा था और उसको देना आवश्यक था। इसलिये वह अनुदान के रूप में अब लाया गया है।

नवलकिशोर जी ने भत्ते की बात कही। जो दौरे हुये उनके बिल उस समय नहीं आ सके और उस समय उनका भुगतान नहीं हुआ। जिलों में अवसर विभाग अलग-अलग हैं और यह अन्दाजा नहीं किया जा सकता कि कितने अफसर हैं और कितना बिल का रुपया है, जिससे वह उस समय सप्लीमेंटरी बजट में शामिल हो सके। इसलिये इसको रखा गया।

[श्री रामस्वरूप यादव]

ग्रांट नम्बर ४९ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया लहरी साहब का ऐसा खयाल है कि उसके सम्बन्ध में इस प्रदेश की सरकार ने उस समय अधिक कोई रुपया नहीं रखा था। सब को मालूम है कि १३ लाख रुपये से अधिक उस वक्त जब कि दूसरा सप्लीमेंटरी बजट इस सदन के सामने आया था, उसमें रखा गया था, लेकिन १९५१-५२ के बाद जितना भी गल्ला केन्द्रीय सरकार ने दिया था उसके सम्बन्ध में वह रुपया प्रान्तीय सरकार के हिसाब में डेबिट होना था। उन्होंने १९५४-५५ में डेबिट कर दिया और उससे प्रान्तीय सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो किसी साल भी हो सकता था। बहरहाल, वह रुपया देना था और दिया गया। इसके सम्बन्ध में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते थे कि कितने रुपये की मांग आयेगी।

श्रीमन्, धनराशि देख कर गड़बड़-घोटाले का अनुमान नहीं करना चाहिये। हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, इतना बड़ा उसका बजट है, बहुत सी टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें ३, ४ प्रतिशत का अन्दाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। खर्च का पहले से कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जहां तक इस अतिरिक्त अनुदान का सम्बन्ध है, कोई विशेष आपत्ति की बात इसमें ऐसी नहीं है कि जिस पर एतराज किया जाय। माननीय लहरी जी ने पिछले दिनों और आज भी खाद्य समस्या के विषय में कहते हुए सहयोग की बात दोहराई है। लहरी जी ने इस अधिवेशन में भाग लेकर जो उदारता दिखलायी है उसके लिये मैं कृतज्ञ अवश्य हूं। इसके साथ ही उनका उत्तरदायित्व अपने वोटर्स की तरफ भी था जिन्होंने कि उनको चुन कर इस विधान सभा में भेजा है। यह उनका एक अच्छा कदम था कि उन्होंने आज के तमाम आन्दोलनों से अपने को अलग रख कर इस विधान सभा के अधिवेशन में भाग लेने का निश्चय किया। बहुत से प्रदेश के ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके बारे में वह यहां आकर कह सकेंगे। लेकिन उनके मुख से जो मैंने आज भुखमरी की बात सुनी उस से मुझे अवश्य आश्चर्य हुआ। मैं और वह उन क्षेत्रों से आते हैं कि जो एक दूसरे से लगे हुए हैं। पानी, बाढ़, सड़क, भुखमरी, जो भी समस्यायें उनके यहां हैं वही सब हमारे यहां भी हैं। लेकिन मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि क्या उनके सामने एक भी उदाहरण ऐसा आया कि जिससे कहा जा सके कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु भूख से हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। उस हिस्से में या उससे सैकड़ों मील दूर भी ऐसी चर्चा सुनने में नहीं आयी और मुझे ऐसा विश्वास है कि ऐसी चर्चा सुनने में नहीं आयेगी। मैं और वह दोनों इस बात में सहमत थे, कि पिछले दिनों जब वहां ग्रेचुयेटस रिलीफ का रुपया बांटा जा रहा था तो वहां के लोग कहते थे कि यह जो मुफ्त का रुपया बांटा जा रहा है, यह भीख हम लेने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे मकान गिर गये हैं, हमारा गल्ला बर्बाद हो गया है, फसल नष्ट हो गयी है, लेकिन हमारे लिये केवल ऐसी व्यवस्था करा दीजिये कि जिससे हम को बीज मिल जाय ताकि हम सम्हल जायं। हरदोई के उस हिस्से में भी मैं गया था कि जहां बाढ़ बहुत ज्यादा आयी थी। कई गांवों के लोग मुझ से मिले। किसी ने भी नहीं कहा कि हम भूखे मर रहे हैं। यह कहते थे कि गल्ला नहीं है, लेकिन कहते थे कि हम मेहनती हैं, मेहनत करेंगे। हां, हमारे बीज का प्रबन्ध अवश्य कर दिया जाय ताकि हम अपनी अगली फसल फिर समय से बो सकें। बीज की बात उन्होंने उठायी और दबी जबान से कहा कि अगर हो सके तो लगान माफी कर दी जाय। मैंने किसानों से कहा कि उपज का कितना हिस्सा लगान होता है, तो उनमें से जो कुछ होशियार थे उन्होंने तो कुछ तर्क किया, लेकिन बाकी सब हंस दिये कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीज का प्रबन्ध करने के लिये उन्होंने अवश्य कहा।

मैं लहरी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथियों से, जो आज यहां तो नहीं हैं, लेकिन भुखमरी की बात जरूर कहते हैं, बतायें कि भिक्षा मांग कर जीवन नहीं चलता। मेहनत से जीवन चलता है। भुखमरी भुखमरी कह कर भुखमरी पैदा नहीं करना चाहिये। यह कोशिश होनी चाहिये कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सब को खाना ठीक से और सस्ता

मिले। मुख्य मंत्री जी ने सदैव कहा है कि वह सहयोग लेने के लिये तैयार हैं, लेकिन सहयोग किन परिस्थितियों में लिया और दिया जाता है? मुख्य मंत्री जी सहयोग इसलिये नहीं चाहते हैं कि वे इस गिरानी की समस्या को हल करने में असमर्थ हैं। वे समर्थ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह अवश्य दूर होगी। भाव गिर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई बाण नहीं था जिससे हम इन्द्रदेव से लड़ते और वर्षा जैसे चाहते वैसे करा लेते। मैं ऐसे जिलों की बात बतलाऊं जहां जुलाई और अगस्त में २०, २२ इंच वर्षा होती थी लेकिन वहां ४०, ४५ इंच वर्षा हो गई और वह भी बिखरी हुई न होकर २ घंटे में ही ५ इंच वर्षा हो गई जिससे बाढ़ आ जाना लाजिमी था। उससे लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन हमारा नीरो से मुकाबला करना हमारे साथ बड़ा अन्याय है। जो सरकार बनाने वाले हैं वे हर पांचवें वर्ष परीक्षा में जनता के सामने जाते हैं और वे ऐसा नहीं कर सकते। नीरो का काम नीरो ही कर सकते हैं। हमको भी खर्चा करना होता है। हर व्यक्ति और हर सदस्य को चिन्ता है कि भावों की महंगाई दूर होनी चाहिये। कौन चाहेगा कि प्रदेश के निवासी इतना महंगा गल्ला खरीदें और वह भी उनसे नहीं जिन्होंने पैदा किया है, बल्कि व्यापारियों से जिन्होंने उसे पैदा करने की भी मेहनत नहीं की है। सहयोग देने वालों को भी कुछ मश्विरा लहरी जी दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनमें बहुत से अनुभवी, समाज में स्थान रखने वाले और त्याग किये व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आज ऐसी परिस्थिति है कि जब एक तरफ तो घेरा डालो, ताले तोड़ो, वसूली रोको, आन्दोलन चलाये जावें और दूसरी ओर हम बात करें कि भाई, गिरानी कैसे कम हो सकती है? ऐसे समय में दोनों की बुद्धि ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि वे मोर्चेबन्दी की बात सोचते हैं और हम यह सोचते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था न हो जाय कि जिससे हानि हो। सहयोग का हर व्यक्ति आदर करता है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने साथियों को मश्विरा दें कि ऐसा शान्ति का वातावरण लावें कि जिसमें वे और सरकार बैठ कर बातें कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

उत्तर प्रदेश की १९५४-५५ की संचित निधि में से २,९४,७८,२८९ रु० का दिया जाना।

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग २,९४,७८,२८९ रुपया (दो करोड़ चौरानबे लाख अठहत्तर हजार दो सौ नवासी) रुपया होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए, जो ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिए अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१२	सामान्य प्रशासन के परिव्यय . .	. .	११,४८८	११,४८८
२२	कृषि अभियंत्रण और उपनिवेशन . .	५३,१२,१५०	. .	५३,१२,१५०
३०	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं . .	२१,९३,८११	. .	२१,९३,८११
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य के अधिष्ठान पर व्यय . .	१,०६,४४१	. .	१,०६,४४१
३६	बढ़ौती भत्ते और पेंशनें . .	. .	२८,४०२	२८,४०२
४९	राज्य व्यापार की योजनाएं	२,१८,२५,९९७	. .	२,१८,२५,९९७
	योग . .	२,९४,३८,३९९	३९,८९०	२,९४,७८,२८९

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक का अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १,

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८

३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिए अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

यह इष्टकर है कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था की जाय।

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज बहादुर की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अधिष्ठाता---माननीय शिवराज बहादुर, जो इस सदन के सदस्य हैं, दफा १४४ के अन्दर गिरफ्तार हो गये हैं।

(इसके बाद सदन ३ बज कर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ सितम्बर, १९५८।

अवध पढ़ेगा भी

पी० एस० यू० पी० एल० पी०---१७७ एल० एल०---१९५८---८४०।